सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा 27 मार्च, 2018 ई0

------------- मंगलवार, तिथि --------------

नवम् सत्र 06 चैत्र, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अभी तो प्रश्न-काल है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हमारे सदस्य श्री शक्ति सिंह यादव जी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है....

अध्यक्ष : उसका तो 12 बजे टाईम है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, हम अपनी भी बात कहेंगे, कल मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बात करने का काम किया है और कल की बात को लेकर मैंने सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सूचना दी थी कि औरंगाबाद में जो हालात बिगड़े हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने कल कुछ बातें कही थी, जिसको हम बताना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष के नाते.....

अध्यक्ष : 12.00 बजे, अभी प्रश्नकाल है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : पांच मिनट महोदय । हम प्रश्नकाल के खिलाफ नहीं हैं, वह चले, सिर्फ पांच मिनट का समय मुझे मिल जाय ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष को भी मालूम है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से सदन चलाया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: एक मिनट महोदय । महोदय, पांच मिनट समय दिया जाय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 12..00 बजे सदन में इसके लिए समय निर्धारित है । मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नियम से जो लाना चाहते हैं, वह लायें, सरकार उसका जवाब देगी महोदय ।

अध्यक्ष : 12.00 बजे बोलियेगा न ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, कल मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही, उसमें एक बात को लेकर मुझे खुशी भी है और एक बात को लेकर आपत्ति और नाराजगी भी है । खुशी इस बात की है कि हमको बाबू कहकर बुलाने का काम किये.....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष को जो भी कहना है नियमानुकूल बात को रखें। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए नियमावली है तो नियमावली के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को बात रखनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मुझे आपत्ति इस बात को लेकर है कि चूंकि उन्होंने कहा था कि आप अफवाह बता रहे हैं । महोदय, मेरा यही कहना है कि क्या नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते अगर कोई सूचना हमें मीडिया के माध्यम से या पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की तरफ से...

अध्यक्ष : बैठिए, अब प्रश्नकाल ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अगर गृह विभाग पर इन्हीं को बोलना है तो यही बोलते, कोई जरूरी है कि दूसरा बोले । कल गृह विभाग पर पूरा बहस हो गया, पूरी चर्चा हो गयी, दोबारा इसको उठाने का क्या मतलब है और कल उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए...

अध्यक्ष : हो गया, ठीक है ।

(व्यवधान)

हो गया, बैठिए, आपके नेता बोल चुके ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : तो विजेन्द्र बाबू ने कहा था कि गृह विभाग पर नेता प्रतिपक्ष बोलते तो कल जिस विषय पर बहस हो गयी, आज पुनः उसकी चर्चा करने का मतलब सदन को व्यवधान करना है । कल मतदान हुआ, ये हार गये, इसके वावजूद इसपर चर्चा कराने की क्या जरूरत है ? दोबारा उठाने का मतलब है कि ये हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं, और इसका क्या मतलब हो सकता है ? ये हाऊस नहीं चलाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं, और क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-2197, श्री मुजाहिद आलम, प्रभारी मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2197(श्री मुजाहिद आलम)</u>

श्री बिनोद कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, किशनगंज के पत्रांक 154 दिनांक 20.03.2018...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये क्या संविधान की किताब दिखला रहे हैं ।

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्री : द्वारा सूचित किया है कि अगस्त, 2017 में किशनगंज जिला में आयी बाढ़ के कारण महानंदा एवं कनकई नदी के किनारे के खेतों में ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग अपनी सीट पर जाइए, 12 बजे उठाइयेगा, 12 बजे आपको समय देंगे। 12.00 बजे जब प्रश्नकाल समाप्त हो जायेगा फिर हम आपको समय देंगे । अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय.....

अध्यक्ष : आप तो अपनी बात कह चुके ।

(व्यवधान)

आप अपनी बात कह चुके । खान एवं भूतत्व विभाग ।

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय किशनगंज के पत्रांक 154 दिनांक 20.03.2018 द्वारा सूचित किया है कि अगस्त,2017 में किशनगंज जिला में आयी बाढ़ के कारण महानंदा एवं कनकई नदी के किनारे के खेतों में बालू आ गया है, इस प्रकार के मामले में किसान अपने खेत के बालू को हटाकर अपने खेत के एक कोने में भंडारित कर खेत का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं । खेत में भंडारित बालू का प्रेषण बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के प्रावधानानुसार विहित प्रपत्र में परिवहन चालान के माध्यम से ही किया जाना है । इस हेतु बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम- 11(A)(2)(VIII) के तहत रैयत जिला के बालू बंदोबस्तधारी से आपसी समन्वय कर भंडारित बालू परिवहन चालान के माध्यम से अपने खेत से हटा सकते हैं । खनन विभाग के द्वारा इस प्रकार के मामले में किसी प्रकार या स्तर से मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान नहीं है ।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, अगस्त, 2017 में पूरे बिहार के 19 जिलों सहित किशनगंज जिले में जो बाढ़ आयी और किशनगंज जिले में महानंदा और कनकई नदी के कारण हजारों एकड़ जमीन में बालू जमा हो गया, जिसके कारण किसान की उपजाऊ खेत बर्बाद हो गयी है और किसान अपने बालू को हटा नहीं पा रहे

हैं, अगर वे हटाते हैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनपर कार्रवाई करते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जिस तरह से डेरामारी पंचायत में योगलाल सिंह, करण सिंह, ठाकुर किस्कु, राम किस्कु उसी तरह मौजा- टिटिहा में सुलेमान, अमैरूल, मॉलवी अताउर रहमान और कुमारमोनी में अमजद अली, मो0 हुसैन, मोफीजुल हक, मो0 हसन, नौशाद आलम, इन लोगों के खेतों में बालू जमा हो गया है, अगर बालू को नहीं हटाया गया, इनको मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान आर्थिक तंगी सें मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं इस मामले में कि बिहार सरकार उचित निर्णय लेकर जो पीड़ित किसान हैं, को न्याय दिलाने की कृपा करें, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट किया हुआ है कि इस प्रकार के मामले में किसान अपने खेत के बालू को हटाकर अपने खेत के एक कोने में भंडारित कर सकते हैं और खेत का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं । खेत में भंडारित बालू का प्रेषण बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के प्रावधानानुसार विहित प्रपत्र में परिवहन चालान के माध्यम से ही किया जाना है, इस हेतु ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी जगह पर तो जाइए । माननीय सदस्य अपनी जगह पर तो जाइए । ये क्या संविधान लेकर दिखा रहे हैं, यह तो सबके पास है । आप शिवचन्द्र जी, संविधान के किस आर्टिकल का यहां उल्लंघन हो रहा है ? यह बताइए । किताब तो रखे हुए हैं, किस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है ? केवल किताब रखकर दिखा रहे हैं...

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/शंभु/27.03.18

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य होंगे, उससे पूर्व माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के परिणाम बजट की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 के जेंडर बजट की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

विधायी-कार्य

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य । माननीय सदस्यगण, आज बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 का व्यवस्थापन होगा । साथ ही अन्य सूचीबद्ध कार्यक्रम में पहले दिनांक 4 अप्रील, 2018 के लिए निर्धारित गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । तत्पश्चात् दिनांक 16 मार्च, 2018 के लिए अविमर्शित गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

आज जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत हैं गैर सरकारी संकल्पों की संख्या अधिक है । उसके निष्पादन में वक्त लगेगा । अभी विनियोग विधेयक पर विमर्श होना है तो अच्छा होता कि इसको हमलोग संक्षेप में हर दल से एक आदमी बोलकर और सरकार उत्तर देकर सीमित समय में इसका निस्तारण कर लें तो सभी माननीय सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प ले लिये जायेंगे । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । प्रभारी मंत्री । विचार का प्रस्ताव ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खण्डश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो।"

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी की सूचना आयी है और मेरी यह दरख्वास्त होगी कि जो माननीय सदस्य इसपर बोलना चाहते हैं अगर वे अपने को 5 मिनट तक सीमित रखेंगे तो हमलोग समय पर इसका निस्तारण करके फिर गैर सरकारी संकल्प पर आयेंगे । श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : सर, हम तो तैयार होकर भी नहीं आये थे ।

अध्यक्ष : आपसे शुरू करने का कारण है न कि आप सदन के वरीयतम सदस्यों में से हैं।

श्री रामदेव राय : महोदय, आसन की कृपा हो गयी इसके लिए धन्यवाद इसीलिए विनियोग पर हमको बोलना चाहिए । महोदय, इतना कम समय में मैं अपनी बात कहां तक रख सकूँगा मुझे पता नहीं है । विनियोग संख्या-2 भी देखा हूँ । परिणाम बजट तो ये बांटे नहीं हैं, परिणाम बजट बांटते तो कुछ आशा बंधती कि मैं उनको कुछ बताता, लेकिन जो आज तक मैं देखा हूँ कि विनियोग में ये जो पैसा मांग रहे हैं, एक साल के लिए पैसा मांग रहे हैं एक लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ तैंतीस करोड़ अट्ठाइस लाख अट्ठावन हजार रूपये की निकासी चाहते हैं । पिछली बार जो ये निकासी किये उसका पैसा अभी तक 60 परसेंट भी ये खर्च नहीं कर सके हैं और यह पैसा फिर निकासी करके मुझे आशंका है कि इसका दुरूपयोग होगा, विनियोग का दुरूपयोग होगा । इसीलिए मैं कुछ एक्सट्रा कहा हूँ बोलने के लिए तो मैं यह चाहता हूँ कि इसे कैसे रोका जाय कि दुरूपयोग नहीं करें । समय पर पैसा खर्च हो, गाढ़ी कमाई है बिहार के किसान, गरीब, मजदूरों की और गाढ़ी कमाई पड़ी रह जाती है । इस साल का पैसा उस साल और सारा पैसा इधर से उधर खर्च हो जाता है । हम ज्यादा आरोप तो नहीं लगायेंगे । ये दिनरात मुकदमाबाजी में सबलोग फंसे हुए हैं । राजनीतिक उलटफेर करने में लगे हुए हैं । इनको तो है कि किस तरह लालू यादव को फंसाना है, जेल में भेजाना है, जेल में खिलाना है, जेल में मजबूत करना है । लालू यादव कौन है, पता नहीं है । वे तो वसुदेव जी हो गये और कृष्ण को छोड़ गये यहां और विंध्यवासिनी भी जन्म ले ली है उपर से ही वहां से भविष्यवाणी कर दी है कि तुझे मारनेवाला कृष्ण जन्म ले लिया है । आप

ऐसा किये हैं कि कृष्ण को जन्म दे दिये हैं ये तो आपको मार देगा । इसलिए सुझाव देता हूँ हमलोग यह चाहते हैं कि पोर्टफोलियो बांट दें और आप एक नया एक्सपेरीमेंट कीजिए- मोदी जी भी बहुत पुराने हैं । आज तक सभी पार्टी की सरकार बनी है मिलीजुली सरकार तो मैं चाहता हूँ कि नीतीश जी को- सुनिए जरा सा, मैं बढ़िया सुझाव दे रहा हूँ यादव जी को और मोदी जी को कि आप नीतीश जी को दिल्ली भेज दीजिए राष्ट्रपति बना दीजिए । वहां प्रधानमंत्री तो पहले से तय है ही राहुल गांधी और यहां तो आप मुख्यमंत्री बना ही दिये । यहां तो आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिये, घोषित कर दिये, गांव-गांव घुमा रहे हैं । गांव-गांव का लोग उसको गोदी में उठा लिया है । हमारे मोदी जी को जो काम आप दिये हैं उनको करने दीजिए कि किसको उठाकर पटकना है, किसको लड़ाना है, किसको फंसाना है, किसको धंसाना है ।

अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । रामदेव बाबू, अब तो आप उच्चतम पद, राष्ट्रपति पद के लिए भी सुझाव दे दिये हैं अब कौन सा पद बचता है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप जिस योग्यतापूर्ण ढंग से इस आसन को चला रहे हैं, आपको इस आसन पर हम अभी बरकरार रखें । इसके लिए जरूरी है कि आप तेजस्वी को अपना पावर दे दीजिए, काम करने के लिए छूट वह काम करेगा और लालू जी जेल में बेल- लालू जी जेल में नहीं हैं वह तो कृष्ण को मारने के लिए सब साजिश थी-कन्स जो कल मारा जायेगा उस कन्स को बचाने के लिए...........

अध्यक्ष : धन्यवाद चलिए । अब श्री शक्ति सिंह यादव ।

टर्न-3/अशोक/27.03.2018

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने विनियोग संख्या-2, 2018 पर बोलने मौका दिया इसके लिए आसन के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता जाहिर करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, Appropriation bill gives power to the Government to withdraw fund from the consolidated fund for meeting the expenditure during the financial year. इस दिशा में सरकार आज सदन के अन्दर में 2018 विनियोग संख्या-2 है कि हमको सदन इजाजत दे ताकि हम पैसे को खर्च कर सकें । इसी बाबत विनियोग इस सदन के अन्दर आता है महोदय । लेकिन हमारी आपत्ति सिर्फ इतना ही है, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, कि आप पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों के अनुदान के मांग के तहत आपने जो पैसे प्राप्ति के बाद आपने जो खर्च के तौर तरीका अपनाये उसमे विभागवार अगर स्थिति आप देखेंगे तो साफ-साफ दिखता है कि जन-सरकारों से जुड़ा हुआ विभाग, जिसके प्रति फोकस

हमारा है, कमिटमेंट हमारा है वहां पर कहीं न कहीं फिसड्डी साबित होते हुये हम दिख रहे हैं । शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा, वाईटल ईशु है, जहां से हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे की सर्वांगीण विकास की रेखायें तय करने के लिये हमलोग वहां भेजते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हो रहे हैं, 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाये ये लोग । आपके फाईनेन्सियल एक्ट में माननीय वित्त मंत्री जी कुछ ऐसे लैकुना हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके चलते आराजकता और भ्रष्टाचार की कई चीजें सामने आईं । फाईनेन्सियल एक्ट में जो कॉरपोरेशन के माध्यम से आप जो डिफरेंट विभाग के कॉरपोरेशन गठित करके जो पार्किंग करते हैं उसके कारण कई घोटालों ने इस राज्य के अन्दर जन्म लिया, आपकी फजिहत भी हुई, राज्य की बदनामी भी हुई, हम उन घोटालों पर चर्चा करेंगे तो लम्बी तकरीर करनी पड़ेगी महोदय । आपने कहा कि समयसीमा के अन्दर लोगो को बोलना होगा, एक समान्य प्रक्रिया है महोदय, कि बजट में कि अगर गाड़ी अगर चलती रहेगी तो उसमें किसी प्रकार की लूट की आशंका नहीं होती है महोदय, गाड़ो अगर कहीं पार्क कर दें तो वहां से चोरी होना लाजिमी है महोदय । तो फाईनेन्सियल एक्ट में जो प्रावधान आपने किये हैं, पार्किंग की जो व्यवस्था की है उस पार्किंग के चलते बड़े-बड़े कई ऐसे भ्रष्टाचार जन्म लिया, जिससे राज्य की किरकिरी हुई, भले ही हम विपक्ष में है और आप सत्ता पक्ष में हैं, अपने मन की बात हम कह दे, तन की बात भी कह दे, आम अवाम की बात कर दे, सब का साथ, सब का विकास की बात कर दें लेकिन सच से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, सच से मुंह नहीं मोड़ सकते । माननीय मंत्री चारा घोटाला शब्द कह रहे है महोदय, वो हम सुन रहे हैं महोदय.....

अध्यक्ष : आप इधर देखिये, उधर कहां देख रहे हैं ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : पार्किंग के चलते नहीं हुआ महोदय, उसके लिये अलग से कोई बजट्री प्रोविजन नहीं था, मैं चहता हूँ कि एक दिन का डिबेट करें तो फोडर स्कैम में अलग से बजट्री प्रोविजन नहीं हुआ तो उसमें लूट हुई, यह तो आलरेडी हमने बजट का प्रोविजन करके लूट की छूट दी, दोनों दो बातें हैं महोदय और आपने छेड़ दिया है तो निश्चित तौर पर उस ओर इशारा करना चाहेंगे । सृजन का आकार कैसे लिया, सृजन का आकार आखिर कहीं न कहीं सरकार की या तो अव्यवस्था सामने आई, या तो हमने सब कुछ जानकर इन चीजों को होने दिया, अगर आपकी बात मान लें तो यह भी मान लें कि हमने तो महोदय...

अध्यक्ष: बत्ती देखिये, बत्ती ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : बत्ती हम देख रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे चूंकि विनियोग पर बोलने के लिये कम से कम महोदय विनियोग शब्द पर

बोलने के लिए खड़ा हूँ, कहने का मतलब है कि विभिन्न विभागों के संदर्भ में जो स्थितियां है, लेकिन नटशेल में आपने कहा, मैं आपके आसन का सम्मान रखते हुये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से कि माननीय वित्त मंत्री जी मुझे आशंका है कि हम आपको इसकी चाबी की इजाजत दें । लेकिन सदन की मान्यता है परम्परा है फिर आप सत्ता में है, देना तो पाड़ेगा ही लेकिन जो आशंकायें हैं, उसके निर्मूल की कि कैसे हो इस ओर आपको हर हाल में सदन को आश्वस्त करना चाहिये महोदय । कैसे इन चीजें ने आकार लिया, कैसे इन चीजों को आकार लेने में किन किन लोगों ने सहयोग किया हमारा फाईनेन्सियल एक्ट में कहां कहां लैकुना है, कहां कहां परेशानियां है, परेशानियों के चलते ऐसे चीजों का जन्म होता जा रहा है और ऐसे संस्थागत भ्रष्टाचार जन्म ले रहा है जिससे कहीं न कहीं हमारे कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है महोदय । इन चीजों को देखना पड़ेगा राज्य के चेहरे से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिये माननीय महोदय आपने हमें, अब लीजिये जैसे अभी श्रम संसाधन ..

अध्यक्ष : जो आप लाईन बोल रहे थे, उस लाईन को पूरा करिये न !

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, ठीक है आप कह रहे हैं तो आपकी बात रख रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिये महोदय। विनियोग जैसे विषयों पर हर हाल में इस पर एक चर्चा होनी चाहिये, तीन घंटे की चार घंटे की चर्चा होनी चाहिये । चूंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सड़क, बिजली, सारे सेक्टर हैं ऐसे जो जन-सरकार से जुड़े हुये हैं और उनमें कई तरह की चीजें समाने आई हैं, राज्य के अन्दर में जिससे राज्य की किरकिरी हुई है । चाहे दवा घोटाला के नाम पर ले लीजिये कितनी बड़ी किरकिरी हुई है । माननीय प्रतिपक्ष के लोगों ने इस सवालों को मजबूती से उठाया था, मुझे याद है, जो आज बैठे हैं सत्ता में, सहयोगी के रूप में, मजबूती से आदरणीय प्रेम बाबू का प्रेम देखते थे वह साफ साफ झलकता था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कौन हैं ? इसमें कौन-कौन लोग है कि गरीब की गाढ़ी कमाई को लूट करके लेकर चला और चुपचाप उसको संरक्षित कर रहा है, मुझे वह दिन याद है । अध्यक्ष महोदय, फाईनेन्सियल एक्ट में कई ऐसे प्रावधानों को बदलने की जरूरत है, पार्किंग की जो व्यवस्था है उस पर सरकार को अलग से निगरानी की जरूरत है और महोदय मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ, मुझे तो और विषयों पर बोलना है लेकिन मौका ही नहीं है, इसलिए इन्हीं चन्द शब्दों के साथ इन सभी बारीकियों पर माननीय वित्त मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर सदन के माध्यम से आग्रह करेंगे कि इन चीजों की पुनरावृत्ति न हो, कल फिर आपके ऊपर बट्टा न लगे राज्य के शाख पर बट्टा न लगे इसलिए निश्चित तौर पर सचते होकर के हमे इसमें कड़े प्रावधान करने की जरूरत हैं, जो लूट,

चाहे सृजन हो, शौचालय हो, धान हो, चाहे चावल हो, किन किन चीजों की चर्चा करें, कल हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब ने 36 घोटाले की चर्चा कर दी ।

अध्यक्ष : आपने अच्छा सुझाव दिया है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, चार मिनट ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आज जो मुझे विनियोग विधेयक पर बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ सदन से और माननीय प्रतिपक्ष के लोग अंगुली उठा रहे थे कि खर्च नहीं हुआ, खर्च के प्रति संशय प्रकट कर रहे थे महोदय । महोदय, यह सरकार इमानदार सरकार है, मजबूत कंधों पर राज्य का भार है और बिहार को उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है महोदय इसलिये खर्च का अधिकार निश्चित रूप से सरकार को मिलना चाहिय, ये कह रहे थे कि कम खर्च हुआ, कम खर्च नहीं हुआ है महोदय, हमलोगों की सरकार में पिछले वर्ष से ज्यादा खर्च किया है । पिछली बार सिद्दिकी साहब बजट पेश किये थे, प्रतिपक्ष में आज बैठे हैं और इस बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है महोदय । महोदय, पिछली बार 2016-17 में और कल तक तिमाही तक का खर्च की रिपोर्ट आई है उसमें महोदय 2016-17 में राज्य स्कीम मद में महोदय पिछले वित्तीय वर्ष में 30 हजार 892.84 करोड़ खर्च हुआ था महोदय और इस 2017-18 में महोदय 34हजार 363 करोड़ खर्च हुआ जो पूर्व वर्ष की तुलना 11.23 प्रतिशत अधिक है महोदय और कुछ विभागों की चर्चा मैं करता हूँ जो लोक सरोकार के विभाग हैं, जो बोल रहे थे कि खर्च कम हुआ है महोदय । महोदय, कृषि विभाग पिछले वित्तीय वर्ष में तिमाही में खर्च हुआ उसमें इस बार 20 प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ है महोदय । पिछली बार 450 करोड़ खर्च हुआ था और इस बार 540.34 करोड़ खर्च हुआ महोदय । महोदय, लोक स्वा. अभि. विभाग में 99 प्रतिशत पिछली तिमाही से ज्यादा इस बार खर्च हुआ है महोदय । 746 करोड़ पिछली बार खर्च हुआ था नौ महीना में इस बार 31 दिसम्बर तक 1490 करोड़ रूपया खर्च हुआ है महोदय । इसी तरह से पशुपालन विभाग में 98 प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ पिछली बार से कला संस्कृति एवं युवा विभाग में 24 प्रतिशत ज्यादा, ऊर्जा विभाग में महोदय पिछली बार 355 प्रतिशत खर्च हुआ था और इस बार 346 प्रतिशत खर्च हुआ । क्रमशः

टर्न-4/27-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, और बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार । पिछली बार 16-17 में अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्र से सहायता अनुदान में बजटीय प्रावधान 36956 करोड़ था, जो बाद में संशोधित होकर 33171 करोड़ हो गया । वह 18-19 में 46431 करोड़ हो गया, जो 40 प्रतिशत पिछले बार से ज्यादा है और केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में पिछली बार 65083 करोड़ रुपया था और इस बार केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय करों में जो राज्य
की हिस्सेदारी होने वाली है, वह 76172 करोड़ है । यह डबल इंजन की सरकार है । राज्य में, देश की तुलना में सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास में खर्च कर रहे हैं, 8.70 परसेंट हम ग्रामीण विकास में खर्च कर रहे हैं और ग्रामीण सड़कों को हम जोड़ दें, तो यह आंकड़ा 14 प्रतिशत हो जाता है । पिछली बार, ग्रामीण विकास विभाग का बजट 9717 करोड़ था, उसके पहले 5799 करोड़ था और इस वित्तीय वर्ष में अध्यक्ष महोदय, 15471 करोड़ है, जो 48 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक है । शिक्षा में 25 प्रतिशत ज्यादा बढ़ाया गया है । विकास में बिहार कितना उत्तरोतर प्रगति कर रहा है । सब्जी उत्पादन में अपना बिहार देश में नंबर एक पोजीशन पर है । तो इसतरह से बिहार का मामला चल रहा है । सड़कों के घनत्व के मामले में इन लोगों ने वित्तीय वर्ष 04-05 में एक रुपया भी सड़क में खर्च नहीं किया था और सड़कों के घनत्व के मामले में राज्य देश के तीसरे स्थान पर पहुंच गया । राज्य में प्रति एक सौ किलोमीटर पर 318 कि0मी0 सड़क है जबकि राष्ट्रीय औसत 139 कि0मी0 है । इसलिए राज्य उत्तरोतर प्रगति के पथ पर है । लार टपक रहा था, एक माननीय विधायक कह रहे थे कि चचा जो है भतीजा को माफ कर दे । भतीजा ने इतनी बड़ी गलती किया है कि वह माफ करने वाला मामला ही नहीं है, इसलिए लार मत टपकाईये, यह माफ करने वाली बात नहीं है । बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं । सरकार ने मंदिर की घेराबंदी पर तीस करोड़ का बजटीय उपबंध किया है । ग्रामीण क्षेत्रों में 25 साल 30 साल, 40 साल, से जो अंतिम संस्कार शवों का होता है, वह 25 साल, 30 साल, 40 साल, बहुत ऐसे स्थल हैं, जहॉं होता आया है । वहॉं शव को जलाने के लिए एक ऊंचा चबूतरा, शव यात्रियों के लिए एक शेड, पानी और बिजली की व्यवस्था जरुर सरकार को करनी चाहिए । यह मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ क्योंकि पिछले साल मेरे ही प्रश्न पर उसमें माननीय मंत्री विजेन्द्र यादव जी ने कहा था कि हमलोग ऐसी नीति बनायेंगे, इसीलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जरुर सरकार को, यह अंतिम संस्कार में जो नागरीकीय सुविधा है, उसमें जरुर प्रबंध करना चाहिए । आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष: श्री विनोद प्रसाद यादव, तीन, चार मिनट में केवल प्वायंट बतला दीजियेगा, उसके बाद सरकार का उत्तर होगा, फिर आप ही लोगों का गैर सरकारी संकल्प होगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विनियोग संख्या-2, 2018 के समर्थन में मैं बात रखना चाहता हूँ । महोदय, अभी माननीय कई वरीय सदस्यों ने विनियोग के विरोध में अपनी बातों को रखने का काम किया है । महोदय, आजादी के बाद से उन लोगों को सोचना चाहिए कि आजादी के बाद से 2005 से पहले तक किन लोगों का शासन रहा और 2005 तक बजटीय उपबंध का कितना उनलोगों ने व्यय किया । बिहार के नागरिकों की सुख सुविधा का कितना ख्याल रखा, यह तो उनको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए । आज जब बिहार में सड़कें चकाचक बन रही है, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, जितने भी लाईन डिपार्टमेंट है, हमारे सरावगी जी ने सभी डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि किस विभाग ने कितना अधिक खर्च किया है । माननीय महोदय, आज हमलोग बिहार के विकास को उत्तरोतर वृद्धि करना चाहते हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश के आईकॉन हैं जो नीतीश कुमार जी बिहार में करते हैं, वह देश के दूसरे राज्य उसका अनुकरण करते हैं । अब इस बात से इन लोगों को जलन है कि बिहार जो आगे बढ़ रहा है, उसको बजटीय उपबंध में कटौती करके और उसको बिहार को पुन: उसी दिशा, दशा में ले जाना चाहते हैं महोदय, तो मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बिहार का बढ़ता हुआ प्रगतिशील बजट है, इस बजट को सहर्ष स्वीकार करें और बिहार की प्रगति में योगदान दें, नहीं तो कटौती करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी । जय हिंद ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, छत्तीस घोटाले हुए हैं इस राज्य में, घोटाला पर घोटाला, फिर पैसे का प्रावधान किया जा रहा है, तो हमलोग चाबी नहीं देंगे, क्योंकि फिर घोटाला हो जायेगा ।

अध्यक्ष : अच्छा तो भाई वीरेन्द्र जी, आप तो अभी 2 मिनट पहले आए हैं, तब से लगातार हमलोग आपकी उपस्थिति का एहसास कर रहे हैं । माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, 27 फरवरी, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट इस सदन के अंदर उपस्थापित किया गया था और 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक विभिन्न मांगों पर वाद-विवाद हुआ और वाद-विवाद के उपरांत प्रभारी मत्रियों ने उसका उत्तर देने का काम किया । अध्यक्ष महोदय, सदन को यह मालूम है कि इस साल का जो बजट है वह 1 लाख 76 हजार 990 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें 1 लाख 60 हजार 85 करोड़, यह जो प्लान

एक्सपेंडीचर है और जो पिछले साल से 16,904 करोड़ रुपये ज्यादा है इसमें वार्षिक स्कीम 91794 करोड़ रुपया है अध्यक्ष महोदय, सदन को यह मालूम है कि अलग अलग विभागों की मांग अनुदान की मांग पारित हो गयी यानी खर्च करने का अधिकार दे दिया लेकिन खजाने से निकालने का अधिकार अभी नहीं मिला है । ठीक कहा शक्ति जी ने कि चाबी नहीं मिली है, तिजोरी मिल गयी लेकिन जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी, तब तक समेकित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है, तो यह जो विनियोग विधेयक है, इसके द्वारा और यह सदन सरकार को अधिकृत करेगा कि वह समेकित निधि से राशि को निकाल सके । अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को बताया था कि इस साल के बजट में सबसे बड़ी राशि का जो प्रावधान किया गया 32125 करोड़ रुपया वह केवल शिक्षा विभाग पर है और दूसरा सबसे प्रावधान किया गया है, वह सड़क प्रक्षेत्र के लिए 17397 करोड़ रुपया सड़क प्रक्षेत्र पर प्रावधान किया गया है और स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर 7793 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि 2005-06 में जब पहली बार बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार बनी, तो 05-06 में क्या स्थिति थी और आज बिहार की क्या स्थिति है, मैं उसके पहले के 15 साल से कोई तुलना नहीं करना चाहूँगा, मैं केवल अपनी सरकार के पहले 05-06 के साल से 17-18 की तुलना करना चाहूँगा और अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि बिहार का जो बजट का आकार था, वह जहाँ 05-06 में 26328 करोड़ था, इसमें 6 गुणा की वृद्धि हुई और 17-18 में बढ़कर 1 लाख 60 हजार करोड़ हो गया यानी 05-06 की तुलना में 6 गुणा बिहार के बजट में वृद्धि हुई है और जिसको प्लान एक्सपेंडिचर स्कीम बोलते हैं उसमें 13 गुणा वृद्धि हुई है यानी जो विकास का काम है वह प्लान एक्सपेंडिचर के माध्यम से होता है, तो जहाँ 05-06 में मात्र 6087 करोड़ रुपया यह प्लान एक्सपेंडीचर था, यह 17-18 में बढ़कर 81,267 करोड़ रुपया हो गया ।

क्रमशः

टर्न-5/27.3.2018/बिपिन

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः क्रमशः... यानी 13 गुणा वृद्धि विकास के मद में बिहार सरकार ने खर्च करने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, एक जमाने में बिहार के सड़कों की बड़ी चर्चा होती थी तो मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि पथ निर्माण विभाग जिसके मंत्री नन्द किशोर जी यहां बैठे हैं, 2005-06 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो उस साल वास्तविक खर्च हुआ था पथ निर्माण विभाग का 260 करोड़, केवल 260 करोड़,

मैं 2017-18 का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, केवल 2016-17 में 5,325 करोड़ एक साल में । कहां 260 करोड़ यानी 20 गुणा केवल एक साल के अंदर यह बीस गुणा वृद्धि हुई है, 2005-06 में 2260 करोड़ से बढ़कर 5325 करोड़ हुआ । उसी प्रकार, ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें हैं, 2005-06 में खर्च हुआ 404 करोड़ और 2016-17 में खर्च हुआ 7748 करोड़ यानी 19 गुणा ज्यादा हमने एक साल के अंदर खर्च किया है 2005-06 की तुलना में, और अगर अध्यक्ष महोदय, आप अगर पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य दोनों की सड़कों को जोड़ दें तो 2005-06 में दोनों विभाग को जोड़कर 664 करोड़ खर्च हुआ था, मात्र 664 करोड़ और 2016-17 में खर्च हुआ 13 हजार 74 करोड़, 20 गुणा ज्यादा । आज अगर बिहार की सड़कों पर सब लोग 115-20 के स्पीड में चल रहे हैं, तो उसका कारण है कि हमने 13 हजार करोड़ एक साल के अंदर केवल 2016-17 में खर्च किया । मैंने 2017 में, एक-एक साल का दे सकता हूं कि किस साल कितना खर्च, अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में चूंकि अभी पूरा उसका खर्च का हिसाब आना है और उसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, राज्य की जो अपनी आमदनी है वाणिज्यकर विभाग 2005-06 में कितनी आमदनी थी, 2389 करोड़ और 2016-17 में बढ़ कर कितनी हो गई, 18,502 करोड़, आठ गुणा वाणिज्यकर के अंदर केवल राजस्व के अंदर वृद्धि हुई है ।

परिवहन विभाग 302 करोड़ से बढ़कर 1256 करोड़ गया, पांच गुणा वृद्धि, निबंधन विभाग 505 करोड़ हुआ था 2005-06 में, यह बढ़कर लगभग तीन हजार करोड़, लगभग छः गुणा की वृद्धि हुई है । सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमलोगों ने ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बिहार के लड़कियों की साईकिल योजना की बड़ी चर्चा होती है, मैं सदन को बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से नौवीं क्लास की लड़कियों को साईकिल दी जाने लगी, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक यानी 2017-18 तक 61,53,000 साईकिलें दी जा चुकी हैं और अगर लड़कों को जोड़ दिया जाए 58 लाख, दुनिया के इतिहास में किसी एक सरकार के द्वारा लड़के और लड़कियों को कुल मिलाकर एक करोड़ बीस लाख साईकिल अभी तक वितरित की जा चुकी है । अध्यक्ष महोदय, कोई बता दे कि आज देश के किसी राज्य के अंदर दो लाख कि चार लाख कि पांच लाख, एक करोड़ बीस लाख साईकिल अभी तक लड़के-लड़कियों को बिहार सरकार के द्वारा वितरित की जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 2005-06 के पहले बिहार, जो कितनी बार ओवर ड्राफ्ट में गया, ओवर ड्राफ्ट का मतलब होता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, वेज एंड मिन्स ऐडवांस में जाना, और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 2004-05 से पहले और 2005-06 के बाद एक बार भी बिहार सरकार को ओवर ड्राफ्ट और वेज एंड मिन्स ऐडवान्स में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है ।

अध्यक्ष महोदय, जो गरीबी की बात करते हैं, 2004-05 में बिहार के अंदर बी.पी.एल. की संख्या थी 54.4 प्रतिशत् और तेन्दुलकर के तरीके के अनुसार 2004-05 में गरीबी अनुपात की दर थी 54.4, और यह घटकर 33.74 प्रतिशत् हो गई, यानी केवल 2004-05 से लेकर 2011-12 में लगभग यह 20 प्रतिशत् से ज्यादा की कमी बिहार के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लागों की संख्या में आई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विस्तार से जिक्र नही करूंगा लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री का निश्चय था कि बिहार के हरेक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब हम, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में केवल दो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मात्र दो इंजीनियरिंग कालेज और आज मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आज बिहार में 17 इंजीनियरिंग कॉलेज है, दो से बढ़कर 17, और 2018-19 में तीन नए खोलेंगे और सरकार का संकल्प है कि बिहार के प्रत्येक जिले में हम एक-एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ करेंगे । इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, 2005 में बिहार में 13 पॉलिटेक्निक संस्थान कार्यरत थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 36 हो गई है और सरकार का निश्चय है कि बिहार के प्रत्येक जिले में एक-एक पॉलिटेक्निक संस्थान प्रारंभ करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार बिहार में जब 2005-06 में सरकार बनी, केवल 29 आई. टी.आई. थे बिहार के अंदर और 46 निजी क्षेत्र में आई.टी.आई. थे और आज 2017-18 में सरकारी आई.टी.आई. की संख्या बढ़कर 124 हो गई है और प्राइवेट आई.आी.आई. की संख्या बढ़कर 1060 हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय, 2005 के पूर्व बिहार में केवल 8 ए.एन.एम. कॉलेज थे और 6 जी.एन.एम. कॉलेज थे, आज ए.एन.एम. कॉलेज की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और जी.एन.एम. कॉलेज की संख्या बढ़कर 12 हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर जिन लोगों को मौका मिला पंद्रह साल, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए और जब हमलोग को मौका मिला तो पावापुरी में, बेतिया में, आइ.जी.आई.एम.एस. में, हमलोगों ने तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम किया है ..

(व्यवधान)

और अध्यक्ष महोदय, आगे आने वाले दिनों में बिहार के अंदर पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बिहार में एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं था और बिहार के अंदर सारे नर्सेज बिहार के बाहर से आती थी और जब हमलोगों को मौका मिला अध्यक्ष महोदय, तो हमलोगों ने बिहार का पहला नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का काम किया है । सरकार का निर्णय है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सरकार का निर्णय है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में सरकार एक-एक नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम करेगी ।

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को पंद्रह साल राज्य करने का मौका मिला, आपको तो पंद्रह साल मौका मिला तो आपके मुखिया तो जेल के अंदर बंद हैं और यह सजा कोई हमने दिया है ?

(व्यवधान)

टर्नः 06/कृष्ण/27.03.2018

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : (क्रमशः) अध्यक्ष महोदय, जिनलोगों को 15 साल राज करने का मौका मिला, आप को तो 15 साल मौका मिला, आपके मुखिया तो जेल के अंदर बंद है और यह सजा कोई हमने दिया है ?

(व्यवधान)

यह सजा कोई हमने दिया है ? कोर्ट ने सजा दिया है । अध्यक्ष महोदय, यह सजा हमने नहीं दिया और एक कोर्ट ने नहीं, चार-चार कोर्ट ने आपके मुखिया को सजा देने का काम किया और 15 साल के अंदर इस सरकार पर एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा । चाहे सृजन घोटाला हो या शौचालय घोटाला हो, किसी को भी यह सरकार बकशेगी नहीं । जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनको पकड़कर जेल में बद करने का काम यह सरकार करेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक,2018 को सदन सर्वसम्मति से पारित करे ताकि सरकार अगले वित्तीय वर्ष

से पैसा खर्च कर सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

(घंटी)

अध्यक्ष : मैं फिर से इसे लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण ।

श्री नन्दकिशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, जब आप मतदान की बात कर रहे थे, पक्ष-विपक्ष की बात कर रहे थे, एक भी सदस्य, महोदय, जो नियम है, जो पुराने सदस्य हैं, वे जानते हैं,एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं कहा कि विपक्ष में बहुमत है ।

(व्यवधान जारी)

एक आदमी ने भी खड़े होकर नहीं कहा, पूरा रीकॉर्डिंग हो रहा है महादेय, बैठे-बैठे कहने का क्या मतलब है ? महोदय, ये केवल व्यवधान करना चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । माननीय सदस्यगण, गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, वोटिंग कराया जाय ।

अध्यक्ष : ध्वनिमत से हो गया ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी,परिवहन विभाग ।

आप सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर जायं । माननीय सदस्यगण, आप का ही संकल्प है । बैठ जाईये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

गैर सरकारी संकल्प

अध्यक्ष : श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी ।
(माननीय सदस्य अनुपस्थित) ।
डा0 राजेश कुमार ।

क्रमांक-2 डा0 राजेश कुमार

डा0 राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के पूर्वी सरोत्तर के पुरैना के रघुवा नदी के डुमरी घाट पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित पुल ग्रामीण कार्य विभाग के किसी भी स्वीकृत कोर नेटवर्क के मार्ग रेखन में अंकित नहीं रहने के कारण इस पुल का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

डॉ0 राजेश कुमार : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डा0 राजेश कुमार का प्रस्ताव सदन की सहमति से वापस हुआ ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/27-3-18

क्रमांक-3: श्री गिरिधारी यादव

श्री गिरिधारी यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के पेंशनभोगी कर्मियों एवं उनके आश्रितों के अंतर्वासी (इंडोर) चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्त्ति सरकार के स्तर से किये जाने हेतु नीति बनावे ।''

अध्यक्ष: मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: परिषद में हैं ।

अध्यक्ष: यह रूक रहा है।

क्रमांक-4: श्री नन्द कुमार राय

श्री नन्द कुमार राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय को मोतीपुर में चिन्हित भूमि पर स्थानांतरित करावे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: पश्चिमी अनुमंडल का मुख्यालय मोतीपुर स्थानांतरित करने से संबंधित गठित कमिटी के निर्णय के आलोक में प्रतिवेदन एवं प्रसांगिक कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से किया गया है । वांछित प्रतिवेदन में कागजात प्रतिक्षित है । उक्त बांछित प्रतिवेदन एवं कागजात आने पर यथोचित निर्णय लिया जाना संभव होगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष: श्री नन्द कुमार जी, वापस लेते हैं ?

श्री नन्द कुमार राय: वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह वापस हुआ ।

क्रमांक-5: श्री राम विलाश पासवान

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-6: श्री अरूण कुमार सिन्हा

श्री अरूण कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नं0-49 एवं 50 के मोहम्मदपुर मोड़ से मोहम्मदपुर रोड होते हुए सैदपुर नाला तक का सड़क निर्माण शीघ्र शुरू करावे ।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 128 दिनांक 8-3-18 एवं आवंटनादेश संख्या 129 दिनांक 8-3-18 द्वारा वर्णित योजना के कार्यान्वयन हेतु 1 करोड़ 99 लाख 56 हजार 200 रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 99.781 लाख रू0 आवंटित की जा चुकी है । उक्त योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना द्वारा ई-टेंडरिंग के माध्यम से शीघ्र कराया जायेगा । अत: इनसे आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: धन्यवाद । मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-7: श्री शकील अहमद खां

अध्यक्ष: डॉ0 रामानुज प्रसाद प्राधिकृत हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के महानंदा नदी के बेनीबाड़ी रैंयापुर घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल महानंदा नदी पर है जहां पर नदी की चौड़ाई लगभग 600-700 मीटर है । उक्त स्थल के एक तरफ रैंयापुर टोली बसावट है जो राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक-25 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा । पुल के दूसरी तरफ पहुंच पथ लगभग डेढ़ कि0मी0 है जिसमें कोई आबादी नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय श्री मो0 इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया)

डॉ0 रामानुज प्रसादः वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-8: श्री अब्दुस सुबहान</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-9: श्री उमेश सिंह कुशवाहा</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-10: श्रीमती कविता सिंह</u>

श्रीमती कविता सिंहः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला अन्तर्गत हसनपुरा प्रखंड के मन्द्रापाली पंचायत के मन्द्रापाली ग्राम के टोटहा मोड़ से दक्षिण महादलित बस्ती तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 850 मीटर है जो आंशिक ईंटकृत एवं कच्ची है । इस पथ को एम0एम0जी0एस0वाई0 में सम्मिलित कर लिया गया है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती कविता सिंह: माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन)सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-11: श्री विनोद प्रसाद यादव

श्री विनोद प्रसाद यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत कचौड़ी के स्वास्थ्य उपकेन्द्र को उत्क्रमित कर अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: स्वास्थ्य मंत्री जी कौन्सिल में हैं हुजूर ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) इनका पेंडिंग रहा, मंत्री जी के आने के बाद लिया जायेगा ।

क्रमांक-12: श्री चन्द्रसेन प्रसाद

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत हस्लामपुर प्रखंड में सुभाष हाईस्कूल, इस्लामपुर के खेल मैदान पर खेल स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: परिषद में है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आने के बाद इनका लिया जायेगा ।

क्रमांक-13: श्री रवि ज्योति कुमार

श्री रवि ज्योति कुमार: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ प्रखंड स्थित पोरहा पंचायत में जहां जमीन उपलब्ध है,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आवासीय विद्यालय बनावे ।''

श्री रमेश ऋषिदेव,मंत्री: नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ प्रखंड में अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय 10+2 निर्माण हेतु मौजा पोरहा में पांच एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि का प्रस्ताव कार्यालय पत्रांक 287 दिनांक 27-1-18 द्वारा आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना को भेज दिया गया है।

श्री रवि ज्योति कुमार: मैं यह प्रस्ताव वापस लेता हूँ, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-14: श्री अभय कुमार सिन्हा

श्री अभय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के टिकारी-कुर्था पथ में सुप्टा से निचली मोरहर के समानांतर गया-पंचानपुर-दाउदनगर पथ में अहियापुर तक वाया लोहानीपुर पथ का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, प्रश्नाधीन पुल की लम्बाई 14 कि0मी0 है । इस पथ के रेखांकन में अहियापुर से लोदीपुर तक पथ के इम्बैकमेंट पर अवस्थित है जो कच्चा है । अहियापुर से लोदीपुर के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अत: पथांश के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अवशेष पथांश जो सुप्टा से लोहानीपुर होते हुए लोदीपुर जाता है, की लम्बाई 5 कि0मी0 है जो पूर्व से निर्मित है । यह पथांश अभी निर्माण का अर्हता नहीं रखता है । अतएव वर्त्तमान में इसके निर्माण/ मरम्मति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अभय कुमार सिन्हा: वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-8/मधुप/27.03.2018

क्रमांक-15 : श्री जितेन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला में राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना के तहत 2017-18 के लिए राशि दो करोड़ दी गयी जिसे संयुक्त निदेशक, शश्य के आदेश से विपरीत कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, नालंदा द्वारा आवंटित कार्य की समीक्षा करे ।''

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, नालंदा जिला में वेजिटेबल इनिशियेटिव फोर अरबन कलस्टर योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 1,50,93,750/- रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ था । उक्त योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, उद्यान, नालंदा के द्वारा

कराया जा रहा है । उक्त योजना के लिये संयुक्त निदेशक, शश्य के द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना, 2013-14 के बाद वेजिटेबल इनिशियेटिव फोर अरबन कलस्टर के नाम से कार्यान्वित की जा रही है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, जो जवाब आया है वह गलत है । संयुक्त निदेशक, शश्य के द्वारा चिट्ठी निर्गत हुई है कि जो सात एजेन्सी हैं, उनको ब्लैक-लिस्टेड किया गया है, उन्हें कार्य नहीं देने का निर्देश दिया गया था । लेकिन उस आदेश का उल्लंघन करते हुये यह कार्य जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है । हमारा आग्रह है कि कृषि मंत्री इसकी जॉच करवा लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : इसकी जॉच चलते सत्र में सम्भव नहीं है, अगले सत्र में देखा जायेगा । कृपया आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : हम प्रस्ताव वापस लेते हैं लेकिन महोदय, आग्रह करेंगे कि मंत्री जी इसकी जॉच करवा लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 16 : श्री शिवचन्द्र राम

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 17 : श्री सुदामा प्रसाद

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री मो0 नवाज आलम अधिकृत हैं ।

(दोनों माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 18 : श्री विरेन्द्र कुमार

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 19 : श्री मुनेश्वर चौधरी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 20 : श्री मो0 नेमतुल्लाह

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 21 : श्री राजेन्द्र कुमार

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 22 : श्री सैयद अबु दौजाना

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 23 : श्री चन्द्रशेखर

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 24 : श्री राहुल तिवारी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 25 : श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती गुलजार देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड स्थित बिसहरिया से उधवा मुसहरी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क नव निर्मित पथ में छोटे आकार का आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत निर्मित पथ से मार्गरेखन पर है । पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 की माँग की जा रही है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती गुलजार देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 26 : श्री मिथिलेश तिवारी

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले में एन0एच0-28 गंडक नदी (नारायणी नदी) के तट पर अवस्थित धार्मिक आस्था का केन्द्र डुमरिया घाट को ''नारायणी रिवर फ्रंट'' के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के (जल संसाधन विभाग) नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय को भेजे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह पर्यटन विभाग में स्थानांतरित है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आपका यह अभिस्ताव पर्यटन विभाग को स्थानांतरित किया गया है ।

क्रमांक- 27 : श्री मो0 आफाक आलम

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के सिंहिया पंचायत के कारी कोसी नदी के जितिया घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल श्रीनगर प्रखंड के सिंहिया पंचायत में एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत ब्राह्मण टोला से भूमिहार टोला तक जाने वाली निर्माणाधीन पथ के रेखांकन में 2.5 कि0मी0 चैनल पर काली कोसी नदी पर जितिया घाट पर पड़ता है जिसका आकार 60 मीटर है । इसके निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ।

अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 28 : श्री ललन पासवान

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर चेनारी एस0एच0 से बड़की बरताली के बगल में केनार खुर्द से भांठी होते रायपुर चोर जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को पी0डब्लू0डी0 विभाग में अधिग्रहण करावे ।"

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, यह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । पथ निर्माण विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया गया है कि फिजिबलिटी रिपोर्ट बनाकर भेजें । फिजिबलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : पोजिटीव उत्तर है, वापस लीजिये ।

श्री ललन पासवान : मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-29 : श्री ललित कुमार यादव

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>क्रमांक-30 : श्री आलोक कुमार मेहता</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>क्रमांक-31 : श्री मुद्रिका प्रसाद राय</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>क्रमांक- 32 : श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र सं0 203)</u>

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के नुऑव प्रखंड अंतर्गत चण्डेश पंचायत को पंचायत कोटा, दुमदूमा, मुखरॉव, सातो ऐवती एवं रामगढ़ प्रखंड का सिझुआ पंचायत को लेकर चण्डेश को प्रखंड का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत नुऑव प्रखंड के चण्डेश को प्रखंड का दर्जा दिये जाने हेतु पूर्व में विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त नहीं है ।

प्राप्त संकल्प के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत नुऑव प्रखंड के चण्डेश को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रतिवेदन मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर को निर्देशित किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : वापस लीजिये, पोजिटीव उत्तर है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति जी, मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 33 : श्री विनय बिहारी</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>क्रमांक- 34 : श्री फैयाज अहमद</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>क्रमांक- 35 : श्री समीर कुमार महासेठ</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक- 36 : श्री नौशाद आलम

श्री नौशाद आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के कुकुरबाघी ग्राम पंचायत भवन से बंशी टोला, नेकनागच्छ होते हुए बंगाल बोर्डर कुचियागच्छ P.M.G.S.Y. रोड तक सड़क निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ कुकुरबाघी ग्राम पंचायत भवन से बंशी टोला, नेकनागच्छ होते हुए बंगाल बोर्डर कुचियागच्छ P.M.G.S.Y. रोड तक पथ का प्रारंभिक 1.5 कि0मी0 पथांश P.M.G.S.Y. अन्तर्गत निर्माणाधीन टी01 से साहेबगंज पथ पर पड़ता है । अवशेष 3 कि0मी0 पथ कच्ची है जो नेकनागच्छ राजवंशी टोला एवं बासनडुब्बी को सम्पर्कता प्रदान करेगी । उक्त अवशेष भाग को M.M.G.S.Y. योजना में सम्मिलित कर लिया गया है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री नौशाद आलम : आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-9/आजाद/27.03.2018

क्रमांक-37 : श्री संजीव चौरसिया

श्री संजीव चौरसिया : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पान की खेती को कृषि का दर्जा देना सुनिश्चित करे ।''

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, कृषि अन्तर्गत अन्य फसलों की तरह पान की खेती को भी कृषि विभाग के द्वारा हर संभव प्रोत्साहित की जा रही है । कृषि रोड मैप में पान की फसल को विशेष फसल अन्तर्गत शामिल करते हुए इसका आच्छादन, प्रोसेसिंग, विपणन आदि हेतु कार्यक्रम संचालित की जा रही है । कृषि को उच्च तकनीक का समावेश पान की खेती में किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2009-10 से पान की खेती कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को 37 करोड़ रू0 सहायता अनुदान के रूप में भी

दी गई है । इस प्रकार पान फसल को कृषि को अन्य फसल की तरह महत्वपूर्ण मानते हुए कृषि रोड मैप में शामिल किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना अभिस्ताव वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री संजीव चौरसिया : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-38 : डा0 अब्दुल गफूर

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-39 : डा0 अशोक कुमार(क्षेत्र सं0-208)

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-40 : श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-224)

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-41 : श्रीमती पूनम देवी यादव

श्रीमती पूनम देवी यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया प्रखंडान्तर्गत भदास उत्तरी पंचायत के त्रिभुवन टोला प्रधानमंत्री सड़क नागो शर्मा के घर से देवैया पुल तक पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण जनहित में शीघ्र करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ त्रिभुवन टोला बसावट का आंतरिक सड़क है । त्रिभुवन टोला को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । उक्त पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ?

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय सभापति महोदय, वह जनहित में बहुत ही जरूरी सड़क है, उसमें घुटना भर पानी रहता है और वहां पुल का निर्माण है । अगर वह 1 से 1. 25 कि0मी0 नहीं बनता है तो पुल का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा । हमें लगता है कि यह सड़क दो प्रखंडों को जोड़ती है तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि इसे कोरनेटवर्क में लेकर के शीघ्र ही इस सड़क को बनावें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री के आश्वासन के आलोक में आप इसको वापस ले लीजिए ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में इसे वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-42 : श्री अवधेश सिंह

श्री अवधेश सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर विधान सभा क्षेत्र के जढुआ (टॉलप्लाजा के पास) से कौनहारा पी0डब्लू0डी0 पथ होते हुए गंडक नदी के ऊपर पुल का निर्माण, जो सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर होते हुए पहलेजा दीघा पुल तक पहुँच पथ के साथ करावे । "

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर विधान सभा क्षेत्र के जरूआ से कौनहारा पी0डब्लू0डी0 पथ होते हुए गंडक नदी के ऊपर पुल के निर्माण के संबंध में महोदय कहना यह है कि प्रस्तावित स्थल पर कौनहारा से अपस्ट्रीम साईड में गंडक नदी पर हाजीपुर से सोनपुर को जोड़ने वाली वर्तमान में दो पुल - पुरानी गंडक पुल एन0एच019 पर निर्मित पुल अवस्थित है जो कि प्रस्तावित स्थल से क्रमशः 1.3 कि0मी0 तथा 2.1 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है ।

महोदय, इतना बगल-बगल में पुल है तो आप क्यों नया पुल खोजते हैं। अभी इसके बारे में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है । चूँकि बगल-बगल में ही दो-दो पुल विद्यमान है । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंह : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-43 : श्री यदुवंश कुमार यादव

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक - 44 : श्री नितिन नवीन

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-45 : श्री अरूण कुमार (क्षेत्र सं0-75)

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक - 46 : श्री उपेन्द्र पासवान

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक - 47 : श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला मुख्यालय स्थित मीना बाजार में व्यवसायियों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए पुलिस चौकी का निर्माण करावे । ''

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण, बेतिया जिला मुख्यालय स्थित मीना बाजार के टी0ओ0पी0 सृजन हेतु प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया से प्राप्त हुआ था । उक्त प्रस्ताव के समीक्षा के क्रम में कतिपय त्रुटि पाये जाने के कारण पुलिस अधीक्षक, बेतिया से पूर्ण प्रस्ताव की मांग की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि प्रस्ताव वापस करने की कृपा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कार्रवाई आपके पक्ष में है ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-48 : श्री राघव शरण पाण्डेय

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में अवस्थित चीनी मिलों से किसानों को गन्ना भुगतान के पेमेंट में 14 दिनों से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में विलम्ब अवधि का बैंक दर पर ब्याज सहित भुगतान करावे।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम 1981 की धारा 43(2) के प्रावधानों के अनुसार ईखापूर्ति के 14 दिनों के अन्दर संबंधित गन्ना कृषकों को उनके ईख मूल्य का भुगतान कर देना है तथा विलंब से ईख मूल्य का भुगतान करने की स्थिति में विलंब अवधि के लिए अनुमान्य सूद के साथ ईख मूल्य का भुगतान करना है । उसके आलोक में राज्य के चीनी मिलों को विलंब से ईख मूल्य भुगतान करने की स्थिति में अनुमान्य सूद सहित ईख मूल्य की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है । साथ ही क्षेत्रीय ईख पदाधिकारी को इसे वैधिक रूप से मोनेटेरिंग करते हुए इसे सुनिश्चित करवाने का आदेश दिया गया है एवं आदेश की अवहेलना की स्थिति में उन्हें वैधिक कार्रवाई करने हेतु भी आदेश दिये गये हैं ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, स्थिति गंभीर है । माननीय मंत्री ने जो बताया, वह कानून में अवश्य प्रावधान है लेकिन कोई भी मिल भुगतान नहीं करता है और उसके लिय कानून में यह भी लिखा हुआ है कि यदि किसी किसान को सूद चाहिए तो उसके लिए लैंड रेवेन्यू के एरियर वसूलने की जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके अन्दर किसान को जाना होगा । मेरा कहना है कि आजकल सब कुछ कम्प्यूटराईज्ड हो गया है । मिल प्रबंधन को यह मालूम है कि किस दिन गन्ना की आपूर्ति होती है, मिल प्रबंधन को यह भी मालूम है कि किस दिन गन्ना का पेमेंट हो रहा है । यदि कानून में यह संशोधन कर लिया जाय कि जो विलंब होता है 14 दिनों से ज्यादा, वह पेमेंट के साथ बैंक रेट पर सूद जोड़कर दे, इससे किसानों की परेशानी दूर हो जायेगी । मुझे कानून में जो प्रावधान है, उसकी पूरी जानकारी है । साथ-साथ यह भी जानकारी है कि उस कानून का अनुपालन सरकार के निर्देश के बावजूद भी नहीं होता है, इसीलिए मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ कि यह सभा अभिस्ताव करे कि कानून के परिवर्तन करके यदि आवश्यक हुआ तो यह प्रावधान किया जाय । महोदय, एक बात और कहना चाहूँगा आजकल जो स्थिति है, हमारे जिले में एक-एक मिल के बारे में मैं जानता हूँ ....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, यह गैर-सरकारी संकल्प है, आपकी बोलने की सीमा समाप्त हो गई है, आपकी समय सीमा खतम हो गई है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, नियम के अनुसार आपका जो प्रावधान है, उसके अनुसार 10 मिनट तक बोला जा सकता है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब कितना बोलियेगा, 10 मिनट बोलने वाले को पता नहीं चलता है कि मैं कितना बोल गया । हो गया, कृपया सामंजस्य स्थापित कीजिए, सरकार के उत्तर के आलोक में आप प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

अब आप कृपया बैठ जायं, सरकार से आप मिल लिजियेगा ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-49 : श्री सुधांशु शेखर</u>

श्री सुधांशु शेखर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के वित्त अनुदानित इंटर/डिग्री महाविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 से आज तक की अनदान की राशि एकमुश्त विमुक्त करे । "

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, विभागीय संकल्प सं0-538 दिनांक 19.5.2009 के आलोक में निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले स्थापना के अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्टर विद्यालय को उनके संस्थान से

उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुदानित माध्यमिक विद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्टर विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2009-11, 2010-12 एवं 2011-13 के अनुदान हेतु 3 अरब 30 करोड़ रू0 की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध करायी जा चुकी है । .... क्रमशः ......

टर्न-10/अंजनी/दि0 27.03.18

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : क्रमशः ... एवं पूर्व के वर्षों में विमुक्त राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आगे के सत्र के लिए अनुदान दिया जा सकेगा । वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरान्त राज्य के संबंद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को छात्र-छात्राओं को उत्तीर्णता के आधार पर शैक्षणिक सत्रवार अनुदान राशि दी जा रही है । शैक्षणिक सत्र 2008-11 के लिए विश्वविद्यालयों को राशि विमुक्त की जा चुकी है और शेष राशि की भी विमुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-50: श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-51 : श्रीमती रेखा देवी</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-52 : श्री अचमित ऋषिदेव</u>

श्री अचमित ऋषिदेव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रहरिया मोड़ से मधेपुरा सीमा तक भाया परसाहाट-गोपालपुर के ग्रामीण कार्य विभाग की पथ को पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण करे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी फिजिबलिटी रिपोर्ट मंगायी गयी है,

फिजिबलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-53 : श्री कुमार सर्वजीत

(अनुपस्थित)

क्रमांक-54 : डॉ0 अशोक कुमार

डॉ0 अशोक कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के जगना से मोहद्दीपुर होकर बिरौल सीमा जाने वाली सड़क के बीच स्थित कमला नदी की उप शाखा पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल का निर्माण सम्प्रति विचाराधीन नहीं है, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी गलत सूचना दे रहे हैं, मुझे विभाग से जो जानकारी मिली है, इस प्रस्तावित पुल का डी0पी0आर0 बनकर विभाग में आया हुआ है । मैंने व्यक्तिगत तौर पर मिलकर माननीय मंत्री जी को सूचना दी थी । डी0पी0आर0 इनके पास उपलब्ध है फिर यह गलत सूचना कैसे आ गयी ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य गुस्ताखी माफ करेंगे, यह सरकार का उत्तर है और माननीय मंत्री को कुत्ता काटा है कि यहां आकर झूठ बोलेंगे ।

डॉ0 अशोक कुमार : झूठ की बात नहीं है, इनको गलत सूचना दी गयी है । मंत्री जी क्यों झूठ बोलेंगे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सीनियर सदस्य हैं, कृपया प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, सूचना इनको गलत मिली है, सुधार कर लें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-55 : श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के नाउर, पीपरा, ठेंगो, मंझिआवां ग्राम पंचायत अंतर्गत नाउर बौली पर पावर सब स्टेशन का निर्माण करावे ।"

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के नाउर, पीपरा, ठेंगो, मंझिआवां ग्रामपंचायत 33/11 के0भी0ए0 बरेन विद्युत उपकेन्द्र से मात्र 8 से 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है तथा इन पंचायतों की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0भी0ए0 बरेन विद्युत उपकेन्द्र से सुचारू रूप से की जा रही है, इसके अतिरिक्त बरेन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर वारूण प्रखंड के कुरवा में 33/11 के0भी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन है, जिसके निर्माणोपरांत बरेन विद्युत उपकेन्द्र का आंशिक विद्युत भार कुरवा विद्युत उपकेन्द्र पर स्थांतरित हो जायेगा । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में नाउर बौली में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता वर्त्तमान में प्रतीत नहीं होती है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-56 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज

(अनुपस्थित)

क्रमांक-57 : श्री जिवेश कुमार

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड के कमतौल पानी टंकी से बेलवारा कार्टी पोखर-जहांगीर टोल-महदई चौक-पकटोला-चकौती-कलवाड़ा से बेदौली चौक होते हुए सनहपुर तक की लगभग 18 कि0मी0 सड़क को पी0डब्लू0डी0 विभाग अपने अधीन लेकर इसका निर्माण करावे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है । यह हमारे दो स्टेट हाई-वे को जोड़ता है । इसलिए मैंने पथ निर्माण विभाग को कहा है कि इसकी फिजिबलिटी रिपोर्ट मंगायी गयी है और फिजिबलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल में नंद किशोरे जी का एक अलग पहचान है, इतनी तकलीफ यदि इनके चैम्बर में जाकर कर लेते तो गैर सरकारी संकल्प लाने का नौबत ही नहीं आता ।

क्रमांक-58 : श्रीमती आशा देवी

(अनुपस्थित)

क्रमांक-59 : श्री प्रहलाद यादव

(अनुपस्थित)

क्रमांक-60 : श्री मो0 तौसीफ आलम

श्री मो0 तौसीफ आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के बहादुरगंज-किशनगंज पथ के भेड़िबाडांगी कटिंग में पुल का निर्माण करावे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये पहले संकल्प दे दिये होंगे महोदय । महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संक्लपाधीन पुल किशनगंज जिला अंतर्गत किशनगंज-बहादुरगंज पथ के 6ठे किलोमीटर में स्थित है । उक्त कटिंग पर 5X16 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का कार्यादेश, वर्क औडर्र संवेदक को दिनांक 20.03.2018 को दिया जा चुका है एवं संवेदक वहां डायवर्सन बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया है, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत शीतलपट्टी बाजार आर0ई0ओ0. रोड में ऊंचीडीह होते हुए रामकरन पकड़ी पी0डब्लू0डी0 रोड तक सड़क का पक्कीकरण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, प्रस्तावित पथ की लम्बाई साढ़े तीन किलोमीटर है, इस पथ का 300 मीटर पथांश एम0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत निर्माणाधीन है, शेष पथांश पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत पीपरा आर0ई0ओ0 पथ से लोकाही बेलवा एवं मधुरापुर पी0डब्लू0डी0 रोड से उंचडीह के नाम से प्रस्तावित है, जिसका डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है । प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-62 : श्री रत्नेश सादा

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के विराटपुर पंचायत के भादा जल सीमा चाप के कारण दो हजार एकड़ जमीन पर सालों भर पानी लगा रहता है, से जल निकासी सुनिश्चित करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के विराटपुर पंचायत के मौजा-भादा विराटपुर के लगभग 1690 एकड़ भूभाग में जल जमाव है । इस क्षेत्र के जल निकासी से संबंधित भादा चौर एवं हरिपुर लिंक ड्रेन जल निस्सरण योजना की तकनीकी स्वीकृति कोशी कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा द्वारा प्रदान कर दी गयी है । प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई कोशी कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा द्वारा प्रक्रियाधीन है । प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त भादा चौर एवं हरिपुर लिंक ड्रेन जल निस्सरण योजना को

कार्यान्वित कर जल निकासी सुनिश्चित की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-11/शंभु/27.03.18

क्रमांक-63 राजू तिवारी

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मलाही बाजार से बेतिया गोपालगंज मुख्य पथ के बीच चाँदसी यादव के घर के पास पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल से एक तरफ कोतराहा जो एस0एच0 से पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है । दूसरी तरफ चटिया दीयर एवं मंझरिया गांव है । यह मार्गरेखन राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क में स्वीकृत नहीं है । मंझरिया को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है । अत: पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, आर0डब्लू0डी0 द्वारा रोड बनाया गया है और वहां पर आधा कि0मी0 वह इंजीनियरिंग के चलते छूट गया है । मैं आग्रह करूँगा कि इसपर पुन: विचार करते हुए करेंगे और मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-64 श्री सुबाष सिंह(अनुपस्थित)

क्रमांक-65 श्री आबिदुर रहमान

(अधिकृत सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड के मदनपुर पश्चिमी पंचायत अन्तर्गत कनायन चौक से खरहर होते हुए रंगदाहा स्कूल तक सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ में कुल तीन बसावट यथा कनायन, खरहर एवं रंगदाहा है जिसमें से बसावट को पी0एम0जी0एस0वाइ0

एम0बी0एस0 सिकटी पथ एवं बसावट खरहर को पी0डब्लू0डी0 पथ से खरहर पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ एवं बसावट रंगदाहा को रामपुर बसन कोस्की पूर्व भाया अरासूत पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पथ किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती पुनम कुमार उर्फ पुनम पासवान : जी वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

यह माननीय सदस्यों के उत्साह के लिए कभी-कभी ऐसा मौका मिलता है कि बाबा रामदेव स्मरण आते हैं । माननीय मंत्री लोगों के उठापटक, उठबैठ से महीनों का एक्सरसाइज ठीक हो जायेगा, स्वास्थ्य ठीक भी हो जायेगा, स्वास्थ्य मंत्री जी है, सलाह देंगे ।

क्रमांक-66 श्री निरंजन कुमार मेहता

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड में मरियाधार तथा केनाल पर पुल सह सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित मरियाधार एवं केनाल पहाड़पुर कुशवाहा टोला से डफरा पथ पर अवस्थित है । उक्त पथ की लंबाई 050 कि0मी0 है, जो निजी जमीन है । यह किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । उक्त पथ के एक छोड़ से बसावट डफरा को पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ टी02 अरार से डफरा से संपर्कता प्राप्त है तथा दूसरे तरफ के बसावटों पहाड़पुर टोला को संपर्कता देने हेतु एक अन्य पथ का चयन एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत किया गया है । अभिस्तावित पथ एवं पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, निजी जमीन वाले जमीन देने के लिए तैयार हैं इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि इसपर विचार किया जाय। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-67 श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह(अनुपस्थित)

क्रमांक-68 श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत बाबु बांध (बाबू कुंवर सिंह बांध) गांव के पास बनास नदी पर लिफ्ट एरिगेशन का निर्माण करावे ।"

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : सभापति महोदय, योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षणोपरान्त योजना तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य पाये जाने पर डी0पी0आर0 तैयार कराकर निधि एवं भूमि उपलब्धता के आधार पर निर्माण की कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-69 श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम(अनुपस्थित)

क्रमांक-70 श्री रविन्द्र यादव(अनुपस्थित)

क्रमांक-71 श्री मेवालाल चौधरी

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के टेटियाबम्बर प्रखंड के धौरी में स्टेडियम का निर्माण करावे।"

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिला के टेटियाबम्बर प्रखंड मुख्यालय में स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी मुंगेर से विभागीय पत्रांक-494, दिनांक 26.03.18 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी । उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-72 श्री नीरज कुमार सिंह

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के फंड का मात्र 5 प्रतिशत राशि से विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों का प्रचार-प्रसार कर सके इसकी व्यवस्था करावे।"

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, यह स्थानान्तरित है योजना एवं विकास विभाग को ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : क्रम सं0-73 श्री मनोहर प्रसाद सिंह, एक मिनट रूकिए। श्री नीरज कुमार सिंह चूंकि यह आपका प्रस्ताव स्थानान्तरित है अन्य विभाग को, उसको देखा जायेगा अगले वर्ष । तब तक आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, यह आसन से भी जुड़ा हुआ है, सभी माननीय सदस्य का मामला है । इसका जवाब तो आना ही चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : यह डिबेट नहीं संकल्प है, इनको अकेले फाइट करने दीजिए।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, यह सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है । महोदय, पूरे सदन से जुड़ा हुआ मामला है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आप अनुभवी हैं, इसको आपस के तालमेल से तय किया जायेगा । कृपया वापस ले लीजिए ।

श्री नीरज कुमार सिंह : सरकार के तरफ से कुछ जवाब तो.........व्यवधान ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : शांत हो जाइये । कृपया बैठ जाइये ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, बिना जवाब के वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : कभी-कभी ऐसा होता है, यही संसार है ।

(व्यवधान)

आसन भी रिक्वेस्ट करेगा कृपया बैठ जाइये । काम बननेवाले पर थोड़ा रजामन्दी होनी चाहिए और मुस्कान होनी चाहिए वही जीतेगा । आप तो खानदानी सिंह हो, आप बैठिए । आप तो समझदार आदमी हैं ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-12/अशोक/27.03.2018

क्रमांक-74 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भारतीय सेना में R.M.P. (Recruitable male Population) के सिद्धांत के अनुसार बिहार से प्रतिवर्ष-6 हजार नवयुवकों के स्थान पर 3 हजार जवान ही बहाल हो रहे हैं, R.M.P. सिद्धांत के अनुसार बिहार से सेना में बहाली को सुनिश्चित कराने हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अनुशंसा करे ।"

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : सभापति महोदय, भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि एक महत्वपूर्ण संगठन है जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन है सेना में बहाली के क्रम में अपनाई जाने वाले फार्मूला एवं तत्संबंधी आंकड़े राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं है । सामान्य धारणा यही रहती है

कि सेना में जवानों की बहाली में भारतीय सेना द्वारा स्थापित नियमों का अनुपालन किया जाता है । उक्त प्रक्रिया के संबंध में बिना किसी अधिकारिक जानकारी के राज्य सरकार के स्तर से दखल दिया जाना उचित नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, बहुत गंभीर विषय है, मैंने स्पष्ट कहा है कि Recruitable male Population जो एक सिद्धांत बना वर्ष 1950 में जिसके अनुसार 19 से 25 वर्ष के नौजवानों को 10 प्रतिशत, जिस राज्य की जिस प्रकार की आबादी होगी, उस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, उसके हिसाब से हमारा 10 प्रतिशत की आबादी हमारे बिहार का उस आबादी के मुताबिक 7 हजार प्रति वर्ष नौजवान की भर्त्ती भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय करती है । उसमें हमारा 6 हजार नौजवान को भर्त्ती होने का सिद्धांत बनता है, अभी तक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 3 हजार से ज्यादा कभी बहाली नहीं किया है, इसलिये R.M.P.मोड के मुताबिक, मैं कह रहा हूँ कि R.M.P.मोड के मुताबिक 1950 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने बनाया है एक बात । दूसरी बात महोदय कि इस देश में ऐसे कई बटालियन बने हुये हैं, राजस्थान, राजपूताना बटालियन, सिख बटालियन, गोरखा बटालियन, सुन लिया जाय, दो मिनट सुन लिया जाय, ऐसे कई बटालियन बने हुये हैं जिसमें उस क्षेत्रवाद के आधार वहां सेनाओं में भर्त्ती होती है, जातिवाद के आधार पर भर्त्ती होती । बिहार के बिहार बटालियन में देश के किसी कोने के लोग की भर्त्ती होती है, इसमें ऐसा बैन्ड नहीं किया गया है, इसलिय मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सदन इसको सहमति से भारत सरकार को भेज तो दे । यह बिहार का मामला है, पूरे बिहार का मामला है महोदय । सदन का इस पर सहमति बने।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : शांति, शांति । यह Recruitable male Population जो भारत सरकार द्वारा मानक तय है उसकी जानकारी चाहिये बिहार सरकार को तदुपरान्त अनुशंसा करेंगे, जानकारी के अभाव में आंख मूंद कर कोई काम नहीं किया जा सकता है सचीन्द्र बाबू ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा संरक्षण चाहते हुये सदन.....

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : आप सरकार से मशिवरा कर लीजियेगा । आपसे आग्रह करता हूँ कि वापस ले लीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, यह वापस कराने का नहीं है ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : इसकी जानकारी लेकर वो करेंगे । सरकार कह रही है कि जानकारी लेकर इसको करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, इसमें तो प्रस्ताव भेजना है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-73- श्री मनोहर प्रसाद सिंह

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महादय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 131ए के कट्टापुल से बैरिया कालीस्थान तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित राष्ट्रीय उच्च पथ 131ए, कट्टापुल से बैरिया कालीस्थान के बीच कोई आबादी नहीं रहने तथा बौरिया गांव प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना अन्तर्गत एल.027/टी.01 पथ के रेखांकन पर रहने के कारण इसे किसी राज्य कोर नेट वर्क में शामिल नहीं किया गया है । अभिस्तावित पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य मनोहर बाबू अपना प्रस्ताव वापस लीजिये । इसकी जानकारी के लिए माननीय मंत्री से कान्टैक्ट कर लीजियेगा । अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-75(श्री भोला यादव)- अनुपस्थित ।

क्रमांक-76(श्रीमती सावित्री देवी)- अनुपस्थित ।

क्रमांक-77(श्री राम विशुन सिंह)- अनुपस्थित ।

क्रमांक-78(श्री सुबोध राय)- अनुपस्थित ।

क्रमांक-79(श्री अत्रि मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव)- अनुपस्थित

क्रमांक-80(श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव)-अनुपस्थित ।

क्रमांक-81(श्री रामदेव राय)

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड के फतीहा पंचायत अंतर्गत सलेमपुर रेलवे खंड में फतीहा हाल्ट से 600 फीट पूरब तथा गुमटी नं.-3 एवं 4 के बीच रेलवे ब्रीज का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे । "

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : महोदय, बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड के फतीहा पंचायत अन्तर्गत सलेमपुर रेलवे खण्ड जो फतीहा हाल्ट से 600 फीट पूरब तथा गतमटी नं0-03 एवं 04 के बीच रेलवे ब्रिज का निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

अत: अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना सकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये, आपका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदेव राय : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-82(श्री नरेन्द्र नारायण यादव)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड चौसा के अधीन ग्राम-फुलौता स्थित कार्यरत ए.पी.एच.सी. के भवन का निर्माण शीघ्र करावे ।"

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलौत अपने भवन के तीन कमरों में संचालित है, यहाँ दो चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : कार्यरत है, चिकित्सक भी हैं लेकिन मैंने भवन निर्माण की चर्चा की है महोदय । जमीन वहां पर लोगों ने निबंधित कर दिया है बिहार सरकार को, स्वास्थ्य विभाग के लिए । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मंत्री जी वहां मकान का निर्माण कराने की कृपा करें

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आसन की तरफ से आशा रखो, आशा रखों, आशा रखो भाई किन्तु प्रकृति के पीछे भी एक छिपा है न्याय तो इसका आप आशा रखिये ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-83(श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह)

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अंतर्गत मटिहानी विधान सभा क्षेत्र के राजकीयकृत उच्च विद्यालय, मटिहानी में स्टेडियम का निर्माण करावे ।"

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

बेगूसराय जिला अंतर्गत मटिहानी प्राण्ड के के0एल0 उच्च विद्यालय, मटिहानी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-36 दिनांक 260.08.08 द्वारा दी जा चुकी है, परन्तु विभागीय मानक भू-खण्ड से कम भूमि होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ।

बेगूसराय जिला अंतर्गत मटिहानी प्राखण्ड मुख्यालय में किसी अन्य स्थल पर स्टेडियम निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-524,दिनांक 15.05.2017, पत्रांक-1377, दिनांक 08.12.2017, स्मार पत्रांक-58 दिनांक 18.01.2018 एवं पत्रांक-493 दिनांक 26.03.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है ।

प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : सभापति महोदय, एक्सप्रेस ट्रेन मत बनियेगा, मेरा आपसे आग्रह है, चूंकि माननीय मंत्री जी पदाधिकारी के रिपोर्ट को तोता की तरह पढ़ रहे हैं । 2008 में बिहार सरकार ने उक्त हाई स्कूल में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी, भूखण्ड का रिपोर्टिंग के आधार पर और दस वर्षा से, 9 साल से तो हर सत्र में यह सवाल आता है और मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है जो शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र- इस बार मंत्री जी दूसरा रूप लेकर आये हैं इसलिये सभापति महोदय माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ जो इस तरह के रिपोर्टिंग करने वाले चाहे जिला के कलक्टर हों या कोई पदाधिकारी हों इस पर स्पेशली जांच कराके स्टेडियम का शीघ्र निर्माण करावे, यह मैं उनसे आश्वासन चाहता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) : नरेन्द्र बाबू आपका सुझाव बड़ा अच्छा है । जब आसन से आवाज आये तो कृपया बैठ जाइये । एक तो कला संस्कृति मंत्री, जो ऑरिजनल हैं, वो तो हैं नहीं, नम्बर वन । थोड़ा सा दो हाथ आप आगे बढ़े और दो हाथ हम आगे बढ़े, मामला लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है । लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है आप बहुत दानेश्वर और बुद्धिजीवी हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि प्यार से जो काम निकाल लीजिये वही बेहतर रास्ता है ।

टर्न-13/27-03-2018/ज्योति

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह: सभापति महोदय, वापस तो ले लिया नो टेन्शन, प्यार से वापस ले लिया लेकिन 9 साल से पदाधिकारियों की तरफ से आवाज, तोते की तरह जवाब मिल रहा है, जो दुखद है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आपकी अभिव्यक्ति से मैं सहमत हूँ ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह: ये स्टेडियम बनायेंगे या नहीं बनायेंगे ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): वह तो बोल दिए कि स्वीकृति देने की प्रक्रिया में है, हो जायेगा । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक-84, श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या 132)

श्री अशोक कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-खानपुर के विक्रमपट्टी ग्राम एवं प्रखंड शिवाजीनगर के बाधोपुर के बीच पुरानी बागमती नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, अभिस्तावित स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट विक्रमपट्टी को करुआ से विक्रमपट्टी पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ एवं दूसरी तरफ के बसावट बाधोपुर को आर0सी0डी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है, इस स्तर के अपस्ट्रीम में 1.8 कि0मी0 पर उच्च स्तरीय पुल निर्मित है एवं डाउन स्ट्रीम में 3.1 कि0मी0 पर उच्च स्तरीय पुल निर्माणाधीन है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य अशोक बाबू ।

श्री अशोक कुमार: वापस लिया ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक- 85 श्री शमीम अहमद- अनुपस्थित ।

क्रमॉक 86- श्री फैसल रहमान- अनुपस्थित ।

क्रमॉक 87- श्रीमती अनिता देवी- अनुपस्थित

क्रमॉक-88, श्री जनार्दन मांझी

श्री जनार्दन मांझी: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत फुलीडुमर, शम्भूगंज एवं अमरपुर प्रखंड को मिलाकर अमरपुर को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम

से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है, प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकेगा । अतः अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य जनार्दन मांझी जी अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री जनार्दन मांझी: वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यों के लिए एक आवश्यक सूचना ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध कार्यो के निष्पादन तक सदन के कार्यवाही बढ़ायी जानी चाहिए, चूंकि हमारी सीमा 4.00 बजे तक है, इसलिए आपकी अनुमति हो, तो कार्यवाही की अवधि बढ़ायी जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

(व्यवधान)

अभी इसको ओपेन रखिये, उसमें सीमा तय है । फिर एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा ।

क्रमॉक 89- श्री विद्या सागर केशरी- अनुपस्थित

क्रमॉक 90- श्री जयबर्द्धन यादव- अनुपस्थित

क्रमॉक-91, श्री राम सेवक सिंह

श्री राम सेवक सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के हथुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हथुआ अनुमण्डल के आबादी एवं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले की सबसे पुराने एवं महत्वपूर्ण अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ में मरीजों के बेड की संख्या बढ़ा कर 300 (तीन सौ) करावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में ही अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ को आबादी एवं मरीजों की संख्या को देखते हुए 100 बेड के अस्पताल के रुप में उत्क्रमित किया गया है । अनुमंडलीय अस्पताल में अधिकत्तम 100 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ में 300 बेड की सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार के समक्ष कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है, अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री राम सेवक बाबू ।

श्री राम सेवक सिंह: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक-92- श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार सदर प्रखंड के आस पास सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि पर कटिहार नगर निगम क्षेत्र का दूषित एवं गंदे जल का जमाव हो रहा है, जिससे निजात दिलाने हेतु दूषित जल शोधन यंत्र की स्थापना एवं इसके निस्सरण हेतु शीघ्र ठोस कदम उठावे ।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-1010 दिनॉक 16-02-2018 द्वारा नगर निगम, कटिहार में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्ट्रौंग वाटर ड्रेनेज योजना का डी0पी0आर0 तैयार कर नगर निकाय बोर्ड से पारित कराते हुए विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश बुडको को दिया गया है उक्त डी0पी0आर0 में दूषित जल को शोधित करने हेतु आवश्यकतानुसार एस0टी0पी0 का भी प्रावधान कराया गया है । शोधित जल को कृषि कार्य में सिंचाई में उपयोग करने की योजना तैयार की जा रही है । डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात् निधि की उपलब्धता के आलोक में योजना की स्वीकृति संबंधी निर्णय लिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य वापस लीजिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: माननीय मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के आलोक में मैं यह प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक-93, श्री सुनील कुमार - अनुपस्थित

क्रमॉक-94, श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के ग्राम पंचायत-मझवलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण करावे ।"

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रखंड स्तर पर होता है । प्रखंडन्तर्गत ग्राम पंचायत में अलग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है ा अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य वापस लीजिये ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: वापस तो लेना ही है लेकिन हम निवेदन करेंगे कि मंत्री जी इस पर एक बार विचार अपने स्तर से करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक-95, डा0 रामानुज प्रसाद - अनुपस्थित

क्रमॉक-96, श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत सण्डा से देव प्रखंड के बालूगंज पथ को गया जिले के डुमरिया तक, पथ निर्माण विभाग, एस0एच0 में शामिल करावे ।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संख्या 935 दिनॉक 07-02-2017 में निर्धारित मापदंड यथा पथ में उपलब्ध आर0ओ0डब्बू0 पथ में वाहनों की संख्या एवं पथ की उपयोगिता इत्यादि समीक्षा हेतु फिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की जा रही है, फिजिब्लिटी रिपोर्ट प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजेश कुमार: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): शुक्रिया, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक-97, श्री नीरज कुमार

श्री नीरज कुमार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत एस0एच0-77 कुरसेला-फारबीसगंज सड़क के नरहैया से खैरा, समेली अस्पताल चौक एन0एच0-31 को पार करते हुए मरधिया, बरारी, रौनिया, सेमापुर शरीफगंज एन0एच0ए0आई0-131 A कटिहार को जोड़ने वाली ग्रामीण कार्य की सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित कर निर्माण करावे ।''

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । इस सड़क पर मुझे भी चलने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इसकी उपयोगिता के बारे में इसके महत्व के बारे में जानता हूँ और समझता भी हूँ, इसीलिए इसके फिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की गयी है । फिजिब्लिटी रिपोर्ट प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नीरज कुमार: मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-14/27.3.2018/बिपिन

क्रमांक- 98 : श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के रजवाड़ा गाँव में स्वीकृत वीयर (सुलिस गेट) को लघु जल संसाधन विभाग अविलम्ब निर्माण करावे ।"

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री: सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत चांदी रजवाड़ा वीयर योजना की स्वीकृति जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गई है । वीयर का कार्यकारी रूपांकन तैयार कराया जा रहा है । इस रूपांकन के आधार पर योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया जा रहा है । पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी तथा विहित प्रक्रिया अपना कर कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारंभ करा दिया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती गायत्री देवी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 99 : श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान मंडल के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को माननीय सांसदों की भाँति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (C.G.H.S.) के तहत एप्रूभ्ड देश के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में कैशलेश ईलाज की सुविधा प्रदान करावे ।"

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, माननीय सांसदों के लिए लागू केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सी.जी.एच.एस. में अंशदान कराकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सी.जी.एच.एस. द्वारा विधान मंडल के सदस्यों पूर्व सदस्यों को चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती है । राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत सरकारी कर्मियों सेवानिवृत सरकारी कर्मियों विधान मंडल के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों तथा उनपर आश्रितों के लिए कैशलेश चिकित्सा योजना लागू करने हेतु राज्य सरकार के समक्ष मामला विचाराधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, सरकार विधान मंडल दल के सदस्यों और गैरसदस्यों को स्वास्थ्य योजना के अंतजर्गत प्रतिपूर्त्ति देती है अध्यक्ष महोदय और उसमें बहुत पेपर का, कागज का और राशि ज्यादा लगती है । राशि क्यों ज्यादा लगती है, अगर सी. जी.एच.एस. कार्ड रहेगा अध्यक्ष महोदय, तो सी.जी. एच.एस. का रेट लगता है अस्पतालों में, नहीं तो जो गैर सरकारी अस्पताल है उसका तिगुना चौगुना बिल बनता है और सदस्य और पूर्व सदस्यों को लिया जाता है । इसीलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है सभापति महोदय, एक बार और आपसे अग्रह होगा, आपका भी मामला है सभापति महोदय, एक बार और माननीय मंत्री जी इस पर सभापति महोदय विचार किया जाए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, एक मिनट । आपका संरक्षण चाहिए सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, एकदम सकारात्मक रहते हैं सभी मामलों पर और इस पर भी सकारात्मक रहेंगे सभापति महोदय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): शांति । शांति ।

श्री संजय सरावगी: सभापति महोदय, एक बार और माननीय मंत्री जी कि प्रतिपूर्ति दे रही है और सी.जी.एच. एस. कार्ड बन जाएगा सभापति महोदय, राशि हमलोग को जो प्राइवेट अस्पतालों में हमलोग इलाज कराते हैं राशि भी आधी हो जाएगी क्योंकि सी.जी.एच.एस. का रेट लगेगा सभापति महोदय, इसलिए माननीय मंत्री जी ...

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, स्पष्ट करना चाहूंगा, माननीय सदस्य की जो भावना है और जो विषय उन्होंने लाया, मैंने स्पष्ट किया कि सरकार के समक्ष यह विषय विचाराधीन है और सकारात्मक दिशा में है ।

श्री संजय सरावगी : पारित हो गया महोदय । सकारात्मक है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): विचाराधीन है । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 100 : श्री रामचन्द्र सहनी

श्री रामचन्द्र सहनी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला-पूर्वी चम्पारण अंतर्गत भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से चार प्रखंडों (1) सुगौली (2) रामगढ़वा (3) हरसिद्धि एवं (4) रघुनाथपुर (नवप्रस्तावित) के लिए एक नये अनुमण्डल-सुगौली का सृजन करावे ।''

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: सभापति महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में

किया गया है । साथ ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों के समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकेगा ।

अत: अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामचन्द्र सहनी: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 101 : श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिलान्तर्गत कुर्था विधान सभा क्षेत्र के बंशी प्रखंडान्तर्गत ग्राम-अनुआँ के पास पुनपुन नदी पर निर्मित पुल से ग्राम-कस्तुरीपुर, भगवतीपुर, मडियाँ होते हुए बंशी प्रखंड मुख्यालय मोड़ तक सड़क का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, बंशी प्रखंडान्तर्गत ग्राम अनुआँ के पास पुनपुन नदी पर निर्मित पुल के ग्राम भगवतीपुर तक पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत फेज -थ्री में प्रस्तावित है जिसकी लंबाई दो किलोमीटर है । इस पथ की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । इस पथ के बन जाने से कस्तूरीपुर, भगवतीपुर एवं मठिया गांव को संपर्कता प्राप्त हो जाएगी । मठिया से बंशी प्रखंड मुख्यालय मोड़ तक अभिस्तावित प्रथांश में कोई बसावट नहीं है । इस पथांश की लंबाई लगभग दो किलोमीटर है । इस पथांश किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । अतएव इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय..

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): बैठ जाइए । आपकी पैरवी मैं करूंगा । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-102 : श्री आनन्द शंकर सिंह

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक- 103 : श्री सरोज यादव

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक- 104 : श्री अमित कुमार

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक- 105 : श्री महबूब आलम

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-106 : श्री अमरनाथ गामी

श्री अमरनाथ गामी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बहेरी प्रखंड के सीमा गॉव से गोवराही तक निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में गोवराही गॉव के निकट तथा सिरूआ से विहरौना तक निर्मित सड़क में विहरौना के पास मरेन नदी में पुल का निर्माण करावे। ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल दो पथों से संबंधित है - 1. एल.-75 पी.डब्लू.डी. पथ से गोरवारी तक । इस पथ की लंबाई 3.41 कि.मी. है जिसका निर्माण पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत कराया गया है । इस पथ के 2.90 कि.मी. पर कमला नदी पर 30 मीटर लंबे उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल की आवश्यकता है ।

2. विरहौता से यादव टोला पथ - इस पथ की लंबाई 4.155 कि.मी. है जिसका निर्माण पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत कराया गया है । इस पथ की 3/20 कि.मी. पर मरने नदी पर तीस मीटर लंबे उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल की आवश्यकता है । पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत स्वीकृत पथों पर छूटे हुए पुलों के निर्माण के संबंध में स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । तत्पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय दस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अमरनाथ गामी : सभापति महोदय, सड़क बन गया और पुल नहीं बनने के कारण ग्रामीण को सड़क का लाभ नहीं मिल रहा है । आज भी नाव से आना जाना कर रहा है । मेरा प्रस्ताव को स्वीकृत करने की कृपा की जाए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): मंत्री जी ना' तो कह नहीं रहे हैं ।

श्री अमरनाथ गामी : सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं रहा है महोदय । दो साल पहले सड़क बन गया और पुल नहीं है, पुल नहीं रहने के कारण लोग आज भी नाव से आते हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सरकार प्रयास में लगी हुई है, चिंता नहीं करिए । आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री अमरनाथ गामी: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न: 15/कृष्ण/27.03.2018

क्रमांक : 107 श्री मुजाहिद आलम

श्री मुजाहिद आलम : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के कनकई नदी के कटाव से पुरन्दाह पश्चिम एवं बलिया गांव को बचावे ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के कनकई नदी बायें तट पर बलिया ग्राम अवस्थित है । बाढ़ अवधि,2017 के पूर्व एजेंडा संख्या 137/273 के अन्तर्गत ग्राम बलिया में कटाव निरोधक कार्य कराया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है एवं वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर कोई कटाव नहीं हो रहा है ।

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के कनकई नदी के दाये तटबंध पर स्थित परन्दाह पश्चिम ग्राम की दूरी रिवर एज से लगभग 65 से 70 मीटर है । वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर कटाव नहीं हो रहा है । विभागीय पत्रांक 1297 दिनांक 24.03.2018 मुख्य अभियंता,बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार को प्रश्न गत स्थल पर सतत् निगरानी एवं चौकसी बरतने हेतु निर्देशित किया गया है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर वहां आवश्कतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । अत: आग्रह है कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुजाहिद आलम : महोदय, दोनों जगह कटाव हो रहा है और जल संसाधन विभाग का एजेंडा संख्या 44/338 है, उसकी स्वीकृति भी है । सिफ इसको गो-अहेड देना है। विभाग इसको गो-अहेड दे दें, इसी के साथ में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 108 श्री अनिल सिंह

श्री अनिल सिंह : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह यू0पी0एस0सी0 द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा के नन रिकोमेंडेड अभ्यर्थियों की सूची, जो नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित तथा भारत सरकार के डी0ओ0पी0टी0 द्वारा लागू की गयी इन्टीग्रेटेड इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर पब्लिक रिक्रूटमेंट एजेंसीज पर उपलब्ध है, से राज्य की सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा हेतु अभ्यर्थियों का चयन करे । "

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य के सिविल एवं पुलिस सेवा में सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया की जाती है । भारत के संविधान के अनुच्छेद-315 के अधीन बिहार लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो नियमानुसार राज्य सरकार के लिये लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये परीक्षाओं का संचालन करती है । लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये संबंधित विभागों के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को विहित प्रपत्र में अधियाचना भेजी जाती है, जिसके आलोक में आयोग के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार के माध्यम से भर्त्ती के पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाती है । तदुपरांत सरकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। वर्णित स्थिति में राज्य के सिविल एवं पुलिस सेवा के पदों पर किसी अन्य आयोग अथवा यू0पी0एस0सी0 द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा नन रिकोमेंडेड अभ्यर्थियों की सूची से भर्त्ती किया जाना विधिसम्मत नहीं है । अत: माननीय सदस्य से उक्त संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अत्यधिक विलम्ब होता है । संघ लोक सेवा आयोग के नन रिकोमेंडेड अभ्यर्थियों में मेधा की कमी नहीं होती और उनका विवरण भी उपलब्ध है । ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से जहां मेधावी अभ्यर्थी आयेंगे वहीं विलम्ब भी नहीं होगा तथा प्रतिभा के चयन का देश में एक अद्भुत उदाहरण भी बिहार प्रस्तुत करेगा । महोदय, बहुत सारे कार्य बिहार ने किये हैं और यह काम सरकार को करना है । इस पर एक नीति बना करके, महोदय, मेरा सुझाव होगा कि जो प्रतिभावान बच्चे वहां से जो ढाई गुना सेलेक्ट होते हैं, उसमें जो आते हैं, उससे शेष जो रह जाते हैं, उनकी सेवा अगर बिहार

सरकार ले और अगर ऐसा किया जाता है और सरकार इस पर विचार करे तो बहुत अच्छी बात होगी । प्रस्ताव तो मैं वापस लूंगा ही लेकिन मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों को एक अवसर उपलब्ध करायें महोदय, बिहार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है, जिसको बिहार सरकार ने किया है । मेरा आग्रह होगा कि इस पर भी सरकार काम करे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 109 श्रीमती वर्षा रानी

माननीय सदस्या अनुपस्थित ।

क्रमांक : 110 श्री राम बालक सिंह

श्री राम बालक सिंह : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत गंगौली पुल से बेगुसराय सीमान तक बैंती नदी के बायां एवं दायां तटबंध के दोनों तरफ बसे आम लोगों के आने-जाने हेतु तटबंध का पक्कीकरण कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करे । "

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के गंगौली पुल से बेगुसराय जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के स्लूईस से बैंती नदी तक नदी के बायें एवं दायें किनारे दोनों तरफ 14 कि0मी0 तटबंध निर्मित है । यह आम रास्ता नहीं है । तटबंध का उपयोग निरीक्षण एवं इसके बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्री की ढुलाई हेतु किया जाता है । सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग का है । यदि संबंधित विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जायेगा तो जल संसाधन विभाग उपलब्ध करा देगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम बालक सिंह : महोदय, मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय है कि हरेक बसावट को हम पक्की सड़क से जोड़ेंगे और यह नदी किनारे बसे हुये लोगों को बांध के अलावा कोई विकल्प नहीं है । अत: हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि इस बसावट के लोगों को पक्की सड़क से जोड़ने के एक मात्र यह बांध है । इसको बनाया जाय । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 111 श्री मो0 नवाज आलम

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक : 112 श्री केदार प्रसाद गुप्ता

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड से 14 पंचायतों को अलग करके मनियारी को प्रखंड का दर्जा प्रदान करे ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मनियारी को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्ताव को सचिवों की समिति के समीक्षार्थ रखा जाना है । तदुपरांत समिति में द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा, जिसके अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

महोदय, हर सदन में गैर सरकारी संकल्प आ रहे हैं । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 113 श्री रामप्रीत पासवान

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के अन्धराठाढ़ी प्रखंड में रेफरल अस्पताल भवन निर्माण हेतु राशि का प्रावधान करावे । "

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अंधराठाढ़ी प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल का भवन कंडेमन्ड घोषित है । इस रेफरल अस्पताल के समतुल्य 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जाना है । अगले वित्तीय वर्ष में विहित प्रक्रियानुसार भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुये राशि आवंटित की जायेगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री रामप्रीत पाासवान : धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/सत्येन्द्र/27-3-18

क्रमांक-114: डॉ0 रंजु गीता

डॉ0 रंजु गीता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव हेतु भारत सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करे ।"

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

डॉ0 रंजु गीता: मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ।

क्रमांक-115 श्री भाई वीरेन्द्र

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-116 श्री राजकुमार राय

श्री राजकुमार राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अन्तर्गत हसनपुर विधान-सभा क्षेत्र के सभी उत्क्रमित प्लस 2 विद्यालयों में भवन निर्माण कर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करावे ।"

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हसनपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 10 उच्च माध्यमिक विद्यालय में से 4 विद्यालय में इंटर की पढ़ाई संचालित है । राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिथान में विद्यालय भवन निर्मित है । राज्य संसाधन की उपलब्धता एवं आगामी वित्तीय वर्ष में संगत शीर्ष अन्तर्गत बजट उपबंध की उपलब्धता के उपरांत अन्य विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य सम्पादित कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । अत: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वे अपना संकल्प ले लें ।

श्री राजकुमार राय: ठीक है, वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-117 (श्रीमती लेशी सिंह)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : बदले में डॉ0 रंजु गीता जी बोलेंगे ।

डॉ0 रंजु गीता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में बाढ़ को रोकने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि केन्द्र सरकार नेपाल सरकार से वार्ता कर नेपाल के नदियों में हाईडैम का निर्माण कराये जिससे बाढ़ से बिहार को निजात मिल सके ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: सभापति महोदय, गैर सरकारी संकल्प बहुत महत्वपूर्ण माननीय सदस्यों के लिए होता है और माननीय सदस्य को फुर्सत भी नहीं है कि वे गैर सरकारी संकल्प के समय उपस्थित भी रह सकें तो महोदय, माननीय सदस्य को उपस्थित रहना चाहिए ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) यह खेद का विषय है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, आपका आसन का निर्देश है तो इसका उत्तर पढ़ दें । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका को रोकने हेतु भारत सरकार नेपाल के नदियों पर हाईडैम के निर्माण कराये जाने हेतु प्रयासरत है इसके तहत सप्तकोशी हाईडैम बहुद्देशीय परियोजना, सप्तकोशी जलाशय सह डायभर्सन परियोजना, कमला बहुद्दीय परियोजना एवं बागमती बहुद्देशीय परियोजना पर सर्वेक्षण आदि कार्य भारत नेपाल संयुक्त कार्यालय द्वारा की जा रही है । सर्वेक्षण एवं योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु पूर्व में निर्धारित समय अवधि फरवरी, 2017 थी परन्तु नेपाल क्षेत्र में चुनाव कार्य जारी रहने एवं अन्य स्थानीय कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल की संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञों की 15वीं बैठक दिनांक 25-26 जुलाई, 2017 को आहूत की गयी थी के द्वारा 30 माह का अतिरिक्त समय सर्वेक्षण एवं योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु संयुक्त परियोजना कार्यालय को प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है । साथ ही परियोजना हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने हेतु भी अनुशंसा की गयी है । सर्वेक्षण आदि कार्यों एवं संयुक्त परियोजना कार्यालय पर जुलाई, 2017 तक 64.62 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रंजु गीता: आपको साधुवाद देते हुए मैं संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-118, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-119: डॉ0 सी0एन0गुप्ता

डॉ0 सी0एन0गुप्ता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा नगर निगम में स्थित सलेपुर पोखर का सौन्दर्यीकरण करावे ।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि छपरा नगर निगम के बोर्ड से सलेमपुर पोखर के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव पारित नहीं है । बोर्ड से पारित होने के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम छपरा द्वारा योजना को कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

डॉ0 सी0एन0गुप्ता: सभापति महोदय, मैं इस प्रश्न के संबंध में कहना चाहूंगा कि पूर्व में तारांकित प्रश्न के माध्यम से हमने प्रश्न उठाया था और सरकार की नीति है कि जल संरक्षण किया जाय चाहे वह तालाब हो, पोखरा हो, ऐसी चीजें लेकिन मुझे जो जानकारी है उस पोखरे को मॉल के रूप में परिवर्त्तित करने का प्रस्तावित है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) जी। मैं भी आपके साथ इनसे आग्रह करता हूँ, आप वापस ले लीजिये, अच्छा विषय है।

डॉ0 सी0एन0गुप्ता: वापस ले रहे हैं लेकिन...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 120: श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह: महोदय, मेरे लिए और इस विधान-सभा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यह काफी शर्म की बात है कि जो मैंने अपना प्रश्न दिया था गैर सरकारी..

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन)आप पढ़िये,भाषण नहीं दीजिये ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह:महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं वही बताना चाहता हूँ कि मैने प्रश्न दिया था कि उस बी0डी0ओ0 के ऊपर प्रपत्र 'क' गठित हुआ है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है लेकिन मेरे गैर सरकारी संकल्प को यहां बदल कर के यह दे दिया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाय तो महोदय, मैं इसके संबंध में आपसे जानना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि जिनके द्वारा ये प्रश्न को बदला गया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) दिखवा लिया जायेगा, आप पढ़िये।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह: दिखवा लिया नहीं जायेगा महोदय, कार्रवाई किया जाय कि ऐसा क्यों हुआ ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) हम सहमत हैं आपसे, आसन सहमत है । मैं आदेश देता हूँ दिखवा लिया जायेगा कि किसकी कमी है, तदुपरांत जो कार्रवाई आप चाहेंगे होगा। बैठ जाईए । माननीय विधायक धीरेन्द्र प्रताप जी, इतना तो कह दें कि प्रस्ताव वापस लिया ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह: सर,मेरा प्रस्ताव ही नहीं आया तो वापस कहां से लें ? आप ही बतायें कि मेरा प्रस्ताव जब प्रपत्र 'क' गठित करने के बारे में बात था और जब मेरा प्रस्ताव ही नहीं आया तो वापस लेने का सवाल ही नहीं है, इसको भंग कर दिया जाय या वैसे इसको रद्द कर दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) आपसे सहमत होकर के आपके सम्मान....

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह:सर, मेरा प्रस्ताव कहां है ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) जो है पेपर में इसको आप स्वीकार कीजिये ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह,उर्फ रिंकु सिंह: सर, यह तो मेरा प्रस्ताव ही नहीं था तो हम इसे स्वीकार कहां से करें ? मेरा प्रस्ताव था कि प्रपत्र क गठित हुआ है..

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत पिपरासी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी,श्री रघुवर प्रसाद के विरूद्ध कार्रवाई हेतु वर्ष 22.07.2016 को गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय कार्रवाई करावे ।''

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-121: श्री शंभु नाथ यादव

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-122: श्री बशिष्ठ सिंह

श्री बशिष्ठ सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर के एस0 एन0 कॉलेज शहमल खैरा देव में बी0एड0 का शिक्षण कार्य करावे ।''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु विभागीय पत्रांक 15 एम0 1/2010 -2784 दिनांक 8-9-10 के द्वारा विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बी0एड0 कोर्स प्रारम्भ करने के लिए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को निर्देशित किया जा चुका है । बी0एड0

कोर्स के पढ़ाई के लिए संबंधन तथा मान्यता एन0सी0टी0ई0, भुवनेश्वर से प्राप्त की जानी होती है । प्रसंगाधीन महाविद्यालय में बी0एड0 कोर्स की मान्यता प्राप्त करने हेतु उन्हें एन0सी0टी0ई0 क्षेत्रीय बोर्ड भुवनेश्वर को आवेदन समर्पित करना होगा । एन0सी0टी0ई0 द्वारा उक्त महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के उपरांत वहां बी0एड0 कोर्स प्रारम्भ किया जा सकता है । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री बशिष्ठ सिंह: वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य बशिष्ठ बाबू बहुत ही ओविडियेंट हैं । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-17/मधुप/27.03.2018

क्रमांक-123 : सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के फलका प्रखंड अंतर्गत भरसियाँ पंचायत में बरंडी नदी के करबाला घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल भरसियाँ कोढ़ा फलका पी0डब्लू0डी0 रोड से मोहम्मद नगर पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ के 2.10 कि0मी0 चैनल के पास बरंडी नदी के करबला घाट पर अवस्थित है । पी0एम0जी0एस0वाई0 के मिसिंग ब्रीज के अन्तर्गत चयनित है । डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ।

अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-124 : श्रीमती अमिता भूषण

श्रीमती अमिता भूषण : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के तीन प्रखंडों वीरपुर, तेघड़ा एवं भगवानपुर प्रखंड को जोड़नेवाली बलान नदी पर बरैपुरा-ढुसहा घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ के रेखांकण पर है। इस स्थल पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल की स्वीकृति पी0एम0जी0एस0वाई0 मिसिंग ब्रीज अन्तर्गत एन0आर0आर0डी0ए0, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । वांछित प्रक्रियाएँ पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकेगा । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती अमिता भूषण : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करते हुये मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती अमिता भूषण का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-125 : श्रीमती बेबी कुमारी

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंडान्तर्गत उनसरकाली मंदिर स्थान पर एक स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना करावे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंड अन्तर्गत बोचहा थाना से 8-9 कि0मी0 की दूरी पर उनसर गाँव की काली चौक अवस्थित है । काली चौक कटरा थाना गायघाट थाना एवं हथौड़ी थाना से भी लगभग इतनी ही दूरी पर अवस्थित है । उल्लेखनीय है कि उनसर गाँव में काली मंदिर स्थान का विगत 5 वर्षो का अपराध के आंकड़ा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रित है । विधि-व्यवस्था का संधारण संबंधित थाना से किया जा रहा है । उक्त चौक पर पुलिस चौकी खोलने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है । काली मंदिर स्थान पर स्थायी पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्रीमती बेबी कुमारी : मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-126 : श्री विजय कुमार खेमका

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, बोला जाय ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को भारत रत्न देने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को भारत रत्न देने के लिये केन्द्र सरकार से सिफारिश करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रसिद्ध दलित समाज से आने वाले एक प्रतिनिधि रहे हैं । मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर सम्भव है तो सरकार इसके लिये सिफारिश करे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सरकार का तो सुन ही लिया आपने । प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, अगर आप सारे लोगों की अनुमति हो, बा-अदब मैं पुन: प्रारंभ से पुकारता हूँ, जिन माननीय सदस्यों का संकल्प संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति से नहीं लिया जा सका, कृपया आप अपना प्रस्ताव रखेंगे ।

<u>क्रमांक-11 : श्री विनोद प्रसाद यादव</u>

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत कचौड़ी के स्वास्थ्य उपकेन्द्र को उत्क्रमित कर अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कचौड़ी से मात्र सात किलोमीटर की दूरी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बार एवं दस किलोमीटर की दूरी पर अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी तथा बारह किलोमीटर पर नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी अवस्थित है ।

अतएव स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कचौड़ी को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करने की कोई योजना नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है अधिकारियों के द्वारा दिया गया है । जो दूरी बताया गया है, बिल्कुल भ्रामक है । 15 कि0मी0 से ज्यादा दूरी है और बिल्कुल इंटीरियर एरिया है । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि इसको अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनावें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आपकी माँग को ग्रहण कर लियें । वापस ले लीजिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-12 : श्री चन्द्रसेन प्रसाद

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत इसलामपुर प्रखंड में सुभाष हाईस्कूल, इसलामपुर के खेल मैदान पर खेल स्टेडियम का निर्माण करावे ।"

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । नालन्दा जिलान्तर्गत इसलामपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय कोबिल में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-38 दिनांक-26.08.2008 द्वारा दी जा चुकी है । अतएव एक प्रखंड में दो स्टेडियम का निर्माण अभी विचाराधीन नहीं है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-78 : श्री सुबोध राय

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के विश्वविख्यात श्रावणी मेलास्थल के सर्वांगीण विकास हेतु सुलतानगंज को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनायी गयी है जो विभिन्न प्रखंडों, अनुमंडलों एवं जिलों पर विचार करेगी । अभी उसके संबंध में

समुचित विचार नहीं हुआ है । इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि समिति जल्दी से जल्दी काम को निपटाने का काम करे । बहुत दिन से यह सवाल विचाराधीन है और इसका जल्दी से समस्या का हल किया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रस्ताव वापस तो लीजिये ।

श्री सुबोध राय : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबोध राय का प्रस्ताव वापस हुआ ।

पहले लिस्ट में किन्हीं और माननीय सदस्य का छूटा है ?

श्री अमित कुमार : महोदय, मेरा छूटा हुआ है ।

क्रमांक-104 : श्री अमित कुमार

श्री अमित कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा, सुप्पी, मेजरगंज एवं बैरगनियाँ प्रखंड का क्षेत्रफल मिलाकर लगभग 3 लाख आबादी को प्रशासनिक सुविधा हेतु अनुमंडल कार्यालय की स्थापना करावे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और कमीश्नरी के निर्माण हेतु मंत्रिमंडल की एक उप समिति काम कर रही है । जिला पदाधिकारी से इसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भी माँगे गये हैं । उसपर समुचित विचार जब होने लगेगा तो माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर भी विचार किया जायेगा ।

अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री अमित कुमार : महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी में तीन अनुमंडल है । एक में 5, एक में 3 और सदर में 9 प्रखंड आता है तो काम करने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रस्ताव पर विचार किया जाय । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अमित कुमार का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-64 : श्री सुबाष सिंह</u>

श्री सुबाष सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह एम0सी0आई0 की आपत्तियों को दूर कर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पहल कर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी में डी0एम0 और एम0सी0एच0 की पढ़ाई शुरू करावे ।"

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में महत्वपूर्ण विषयों में सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी0एम0एस0एस0वाई0 के फेज-III एवं फेज-IV के अन्तर्गत राज्य के पुराने पॉच चिकित्सा महाविद्यालयों में 7-8 सुपरस्पेशलिटी विभागों की स्थापना की जा रही है । इनमें नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी विभाग भी शामिल है । इसके पश्चात् इन संस्थानों में सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा (डी0एम0 एवं एम0सी0एच0) की पढ़ाई प्रारम्भ हो जायेगी ।

आई0जी0आई0एम0एस0 में भी न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि विभागों में सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु एम0सी0आई0 के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया वापस लीजिए, बहुत पोजेटिव उत्तर आये हैं ।

श्री सुबाष सिंह : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-58 : श्रीमती आशा देवी</u>

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अंचलाधिकारी, दानापुर के पत्रांक-1137, दिनांक 12.04.2017 के आलोक में दानापुर वार्ड सं0-21 के खेसरा नं0-408, 409, 410 एवं 411 पर महादलित परिवार के नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करावे ।"

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : माननीय सभापति महोदय, अंचल कार्यालय, दानापुर के पत्रांक-1137, दिनांक 12.04.2017 के द्वारा नगर परिषद्, दानापुर के अन्तर्गत वार्ड

सं0-21 में भाखड़ी दानापुर अनुसूचित जाति कॉलोनी, दानापुर का खेसरा सं0-408, 409, 410 एवं 411 में बसे परिवारों को जमीन की बन्दोबस्ती किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर से किया जाना प्रतिवेदित है । अंचल अधिकारी, दानापुर के प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त सभी खेसरा दानापुर नगर परिषद् के क्षेत्राधिकार में है, जिसके कारण अंचल अधिकारी, दानापुर के द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के देहाती क्षेत्र में अवस्थित गैर मजरूआ मालिक जमीन की बन्दोबस्ती अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से सक्षम श्रेणी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर-1 एवं पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर-2 के परिवारों के साथ आवासीय एवं कृषि कार्य हेतु की जाती है । नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित गैर मजरूआ मालिक जमीन की बन्दोबस्ती का प्रावधान नहीं है ।

प्रश्नगत खेसरा सं0-408, 409, 410 एवं 411 नगर परिषद्, दानापुर के क्षेत्राधिकार में है, जिसके कारण उक्त जमीन पर निवास कर रहे परिवारों को आवासीय प्रयोजन हेतु जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में नगर परिषद्, दानापुर के द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है । उक्त जमीन की बन्दोबस्ती राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नहीं की जा सकती है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे।

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि महादलित परिवार 25-30 साल से मकान बनाकर के वहां पर झोपड़ी में रह रहे हैं। प्रधान मंत्री इंदिरा आवास के पैसे उन लोगों के नाम से आवंटित है और वहां का पर्ची नहीं दिये जाने के कारण महादलित लोग कहां जायेंगे । सरकार बोलती है कि महादलित, गरीब को हम आगे बढ़ायेंगे तो महोदय, उन लोगों को जमीन देकर कहीं बसाया जाय, 30 साल से लोग वहां पर झोपड़ी में रह रहे हैं । मैं आग्रह करती हूँ कि उन लोगों को कहीं बसाया जाय ताकि वे लोग परिवार के साथ रह सकें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, आप प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्रीमती आशा देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-56 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तीनटंगा करारी से कुरसैला पुल तक बाढ़ से बचाव के लिए बाँध का निर्माण करावे । "

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थल तीनटंगा करारी से कुरसैला पुल तक विक्रमशिला सेतु के लगभग 10 कि0मी0 उर्ध्वधार में गंगा नदी के बॉये किनारे स्थित इसमाईलपुर बिन्द टोली तटबंध के डी0वाई0एस0 में अवस्थित है । विगत वर्षों में प्रश्नगत स्थल पर नदी का दबाव नहीं रहा है । वर्तमान में प्रश्नगत स्थल से नदी लगभग 100मीटर की दूरी पर बह रही है । बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के स्वरूप के निर्धारण निमित्त विक्रमशिला सेतु के उर्ध्वधार से 15 कि0मी0 एवं सेतु के उर्ध्वधार से 30 कि0मी0 का सी0डब्लू0यू0पी0आर0एस0,पूणे के द्वारा जलीय प्रतिमान अध्ययन कार्य किया जा रहा है । सी0डब्लू0यू0पी0आर0एस0,पूणे के अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी अनुशंसा एवं उनके सुझाव के आलोक में कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, वापस लीजिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार नरीज : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलीयास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय मंत्री श्री श्रवण बाबू, तनहा, अकेला कितना बर्दाश्त करें, इनको कितना लोड लेकर चलना पड़ता है । ये तो पुराने घी खाये हुये हैं कि टिके हुए हैं ।

माननीय सदस्यगण, अब दिनांक 16.03.2018 के अविमर्शित गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । आपलोग तैयार हैं ?

मा0 सदस्यगण : ले लिया जाय ।

<u>क्रमांक-1 : श्री अभय कुमार सिन्हा</u>

श्री अभय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के टिकारी प्रखंड में मोरहर नदी से निकले डरूआ पईन में डाक बाबा के पास इटहोरी में स्लुईश गेट का निर्माण करावे । "

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : सभापति महोदय, योजना का सर्वेक्षण कार्य कराया जायेगा । सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी दृष्टिकोण से संभावत: पाये जाने पर इसका डी0पी0आर0 तैयार कर निधि उपलब्धता के आधार पर निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अभय बाबू, वापस लीजिए ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-2 : श्री अशोक कुमार(क्षेत्र सं0-208)

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-3 : श्री राम विलाश पासवान

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-4 : श्री जिवेश कुमार

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अन्तर्गत ऐतिहासिक स्थल अहिल्यास्थान से गौतम कुंड-गंगेश्वर महादेव(रतनपुर) होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के कटरा बाजार स्थित चामुंडा स्थान को मिलाते हुए राज्य उच्च पथ का निर्माण माता सर्किट के नाम से करावे।''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, संकल्पाधीन पथ की कुल लम्बाई 26.70 कि0मी0 है, जिसमें 4.20 कि0मी0 पथ निर्माण विभाग का पथ है एवं शेष 22.50 कि0मी0 ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है । इस पथ के अधिग्रहण हेतु मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग का पत्रांक-791 दिनांक 6.3.2018 द्वारा फिजिबीलीटी रिपोर्ट की मांग की गई है। फिजिबीलीटी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-5 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के ग्राम पंचायत-बनकटिया में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, हरपुर दिउलियां के गैरमजरूआ जमीन पर विद्यालय भवन का निर्माण करावे।''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के ग्राम पंचायत बनकटिया में नरवसृजित प्राथमिक विद्यालय हरपुर दिउलियां में गैरमजरूआ भूमि के लिए अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है । उक्त विद्यालय के लिए सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत भवन निर्माण मद में राशि उपलब्ध नहीं है । राशि प्राप्त होने के उपरान्त भवन निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा ।

अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-19/अंजनी/दि0 27.03.18

क्रमांक-6 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड के जमुनिया पंचायत में खैरी घाट धनौती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत कोर नेटवर्क के मार्गरेखन पर नहीं है । खैरी घाट के पास नदी की चौड़ाई लगभग 130 मीटर है । चकिया प्रखंड के जमुनिया पंचायत में जी0टी0एस0एन0वाई0 के अंतर्गत लक्ष्मण मांझी के घर से पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड खैरी माल तक पथ निर्माणाधीन है । इस पथ के चैनल 1360 मीटर से कच्ची पथ खैरी घाट की ओर जाती है, जहां कोई आबादी नहीं है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, मैं मंत्री जी को बता दूं कि वहां रोड बन चुका है दोनों तरफ से, एक तरफ से मोतीहारी से रोड आती है और एक तरफ इधर चकिया प्रखंड की तरफ से जाती है । रोड बन चुका है, बीच में पुल नहीं है, मैं आपके

माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसको फिर से देखवाकर वहां पर पुल बनाने की कृपा करें, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-7 : श्री मो0 तौसीफ आलम

श्री मो0 तौसीफ आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के गोआबाड़ी के गुड़गांव मालिक होते हुए लोहागड़ा हाट जाने वाले कनकई नदी में बना पुल तीन वर्षों से ध्वस्त है, का पुनः निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल जिला योजना अन्तर्गत निर्मित पथ पर जो गड़गांव मलिक से लोहागाड़ा हाट को जोड़ती है पर अवस्थित है । गड़गांव मलिक तुलसिया से एल0आर0पी0 भाया मरगांव पथ पर एवं लोहागाडा हाट एल0आर0पी0 पथ पर अवस्थित है । उक्त पुल के डाउनस्ट्रीम में 300 मीटर पर एवं अपस्ट्रीम में पांच किलोमीटर पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल को पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, वापस तो लेना ही है । तीन साल से पुल ध्वस्त है । मैं आग्रह करूँगा सरकार से कि फिर से इसपर पुनर्विचार किया जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-8 : श्री मो0 आफाक आलम

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलांतर्गत कसबा प्रखंड के बनैली पंचायत के कोसी नदी के खाना घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल कसबा प्रखंड अंतर्गत बनैली पंचायत के जीयनगंज जानेवाली एम0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत निर्माणाधीन पथ के 6वें किलोमीटर में कोशी नदी से खाना घाट पर अवस्थित है। विगत वर्ष वरसात में पुराने पुल ध्वस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया। क्षतिग्रस्त पुल की जगह पर पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-9 : श्री शम्भूनाथ यादव

(अनुपस्थित)

क्रमांक-10 : श्रीमती पूनम देवी यादव

श्रीमती पूनम देवी यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया प्रखंडान्तर्गत शहर सुरक्षा तटबंध जो 3.85 कि0मी0 बेगूसराय से बभनगामा मौजे में अधूरा पड़ा है, का निर्माण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग-2 के तहत चहना नदी के दायें किनारे 10.40 किलोमीटर. 38.20 किलोमीटर के बीच कुल 27.80 किलोामीटर लम्बाई में तटबंध निर्माण का कार्य कराया जाना है । इसके विरूद्ध 23.95 किलोमीटर लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 3.85 किलोमीटर की लम्बाई 25.60 किलोमीटर से 29.45 किलोमीटर बभनगामा मौजा में भू-अर्जन न होने एवं ग्रामीणों के विरोध के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका है । बभनगामा मौजा में भू-अर्जन का प्रस्ताव विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को समर्पित है, जो सतत लीज नीति के तहत प्रक्रियाधीन है । भू-अर्जन के पश्चात् 3. 85 किलोमीटर लम्बाई में तटबंध का निर्माण कार्य पूरा करा लिया जायेगा । अतएव माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती पूनम देवी यादव : सभापति महोदय, खगड़िया जिला बाढ़ के नाम पर मैहर कहा जाता है । बाढ़ के दिनों में जब बाढ़ आती है जुलाई-अगस्त में और माननीय सभापति महोदय इस योजना का 9 साल हो गया, वित्तीय वर्ष 2009 में ही

स्वीकृति हुई थी लेकिन आजतक 3.85 किलोमीटर लम्बाई का जो तटबंध था, वह भू-अर्जन के पश्चात् बांध नहीं बना और हमेशा साल-दो साल में बाढ़ आ जाती है। इसमें सरकार की जो करोड़ों की राशि लगी है, वह खत्म हो जायेगा । वर्ष 2007 में जब आढ़ आयी थी खगड़िया जिला में तो सारा वार्ड, 12-13 वार्ड प्रभावित हो गया था, समाहरणालय प्रभावित हो गया था, व्यवहार न्यायालय प्रभावित हो गया था, अस्पताल प्रभावित हो गया था । बहुत साल बीत जाने के बाद आज तक कहां पर लापरवाही है...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, श्रीमती पूनम देवी जी, इस उत्तर में सरकार, माननीय जल संसाधन मंत्री बड़े तत्पर हैं, मैं आशा करता हूँ, भविष्य में आशा रखिए और अपने प्रस्ताव को वापस लीजिए ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : महोदय, प्रस्ताव वापस तो ले ही लेंगे लेकिन उस बांध को बनवा दिया जाय, इसी के साथ मैं अपने संकल्प को वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-11 - श्री रामचन्द्र सहनी</u>

श्री रामचन्द्र सहनी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला पूर्वी चम्पारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत निर्माणाधीन भवानीपुर उप वितरणी के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि तिरहुत मुख्य नहर के 273.25 आर0डी0 बायां में निस्सरित सुगौली शाखा नहर के 33.25 आर0डी0 से बेलघटी वितरणी दायां निस्सरित है । बेलघटी वितरणी के 67.65 आर0डी0 से भगवानपुर उप वितरणी में निस्सरित है । इसकी कुल लम्बाई 20 आर0डी0 है । भवानीपुर उप वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य 0 आर0डी0 से 8.00 आर0डी0 तक कराया गया है । 8.00 आर0डी0 से आगे भूमि का भू-अर्जन 1980 के दशक में हुआ था एवं भवनीपुर उपवितरणी से संबंधित 9 मौजा में से 3 मौजा का भूअर्जित नक्शा उपलब्ध हुआ है, शेष अभिलेख भूअर्जन कार्यालय से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है । मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन , मोतीहारी को विभागीय पत्रांक 362 दिनांक 31.3.2016, पत्रांक संख्या- 206 दिनांक 23.02. 2017 एवं पत्रांक संख्या 524 दिनांक 8.3.2018 द्वारा भवानीपुर उप वितरणी के 8. 00 आर0डी0 से 20 आर0डी0 तक पुनर्स्थापन कार्य के लिए भूअर्जन से संबंधित

अभिलेख शीघ्र प्राप्त कर पुनर्स्थापन कार्य करने की कार्रवाई करने हेतु हेतु निदेशित किया गया है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामचन्द्र सहनी : सभापति महोदय, 30 वर्ष से ज्यादा इस नहर को बनने का काम शुरू हुआ लेकिन 30 वर्ष में अभी तक नहीं बना है । सच्चाई यह है कि पूरी राशि का भुगतान भूधारियों को हो गया है । करोड़ों रूपये लगे हैं लेकिन उस जमीन की खरीद-बिक्री हो रही है और जो बडे-बड़े भूमाफिया हैं, उस जमीन को खरीदे हैं और उस पर मकान बनवा रहे हैं और उन्हीं के दबाब में आकर पदाधिकारी लोग निर्माण कार्य रोके हुए हैं । इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि इसकी जांच करा ली जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-20/शंभु/27.03.18

क्रमांक-12 श्री नरेन्द्र नारायण यादव

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड मुख्यालय आलमनगर स्थित, आलमनगर बाजार से भागीपुर कड़ामा, वासुदेवपुर बघवादीरा, डुमरैल, पुरैनी, योगीराज, नरदह पूर्वी कुम्हारपुर मंजौरा, महेशपुर बलियाघाट, असंकतियां, भूरकुंडा, भवानीपुर, जिला-पूर्णिया तक जानेवाली पक्की सड़क को राजकीय उच्च पथ घोषित करे ।''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, यह सड़क मधेपुरा प्रखंड मुख्यालय आलम नगर स्थित आलम नगर बाजार से भागीपुर कड़ामा, योगीराज, नरदह पूर्वी कुम्हारपुर पथ- पथ निर्माण विभाग का पथ है । लेकिन वासुदेवपुर, बघवादीरा, डुमरैल, पुरैनी, महेशपुर बलियाघाट, असंकतियां, भूरकुंडा, भवानीपुर तक जानेवाली पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । पथ प्रमंडल मधेपुरा और पूर्णियां को मुख्य अभियंता के द्वारा पत्र लिखा गया है ताकि उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट यहां भेजें । फिलिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-13 श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड के बराप पंचायत के ग्राम सिहार में 10 एकड़ सरकारी जमीन पर पोलीटेक्नीक कॉलेज की स्थापना करावे ।''

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में सरकारी क्षेत्र में एक-एक पोलीटेक्नीक संस्थान की स्थापना की जानी है। उक्त कार्यक्रम के तहत समाहर्त्ता भोजपुर के अनुशंसित जगदीशपुर अंचल में मौजा काकिला थाना सं0-272, खाता सं0-490, खेसरा सं0-2405, 2406, 2407, 2409 एवं 2410 कुल रकबा 5 एकड़ भूमि पर पोलीटेक्नीक संस्थान की स्थापना हेतु विभागीय सहमति प्रदान की गयी है । भोजपुर जिला के अन्तर्गत ही राजकीय पोलीटेक्नीक की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-14 श्री अब्दुस सुबहान

(मा0 सदस्य,श्री मो0 आफाक आलम द्वारा पढ़ा गया)

श्री मो0आफाक आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत डगरूआ प्रखंड के डगरूआ एन0एच0-31 से पी0डब्लू0डी0 सड़क मझुवा तक की सड़क को पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित करावे ।''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, यह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । लेकिन यह हमारे स्टेट हाइवे, एन0एच0 और एम0डी0आर0 को जोड़ता है, 11 कि0मी0 की रोड है । हमने इस सड़क के फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाने का आदेश दिया है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समीक्षोपरान्त अगेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मो0आफाक आलम : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-15 श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी(अनुपस्थित)

कमांक-16 श्री रत्नेश सादा

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड के अस्पताल से मानिकपुर, सुरमाहा किशनपुर,

भजनपट्टी, पहाड़पुर होते हुए रेसना तक की जर्जर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ दो पथों से संबंधित है । क- पतरघट से पहाड़पुर उक्त पथ श्रेणी-1 के अन्तर्गत है जिसके प्राप्त प्राक्कन पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । ख- बिशनपुर पंचायत के पहाड़पुर से एन0एच0 106 रेसना पथ शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाइ0 एसी0सी0 अन्तर्गत है । जिसकी लंबाई 2.36 कि0मी0 है । उक्त पथ का डी0पी0आर0 प्राप्त हुआ है जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-17 श्री कुमार सर्वजीत(अनुपस्थित)

क्रमांक-18 डा0 अशोक कुमार

डा0 अशोक कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सबसे पुराने अनुमंडलों में से एक रोसड़ा को जिला का दर्जा प्रदान करे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त से प्राप्त कुल औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिव की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकेगा । अत: माननीय सदस्य से फिलहाल अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

डा0 अशोक कुमार : महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा है, जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी है उसके अध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं तो मैं क्या यह समझूं कि मेरा वह प्रस्ताव उस समिति में विचारार्थ गया ?

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : वह तो जवाब दिये न सामान्य प्रशासन से । अच्छा रिप्लाय है डा0 अशोक कुमार जी, आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं ।

डा0 अशोक कुमार : संबंधित जिला पदाधिकारियों से ये.........

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : ध्यानाकर्षण नहीं है न यह ।

डा0 अशोक कुमार : तो क्या समझा जाय । ठीक है, वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-19 श्री सुदामा प्रसाद(अनुपस्थित)

क्रमांक-20 श्री राजू तिवारी

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पशुपति चौक (एस0एच0) पिपरा, मलाही, सोनवल, गहरी बाजार, इंग्लिश, घिउवा डार होते हुए मोतिहारी जानेवाली पथ (एस0एच0) को पी0डब्लू0डी0 में शामिल करावे ।''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, विषयाधीन पथ पशुपति चौक से निकलकर पिपरा, मलाही, गहरी बाजार, इंग्लिश, घिउवा डार होते हुए मोतिहारी तक जानेवाली पथ वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । जिसकी लंबाई 40 कि0मी0 है । इस सड़क का फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त हो गया है । अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : राजू तिवारी जी, पॉजिटिव उत्तर ।

श्री राजू तिवारी : जी, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-21 श्री शकील अहमद खॉं(अनुपस्थित)

क्रमांक-22 श्री नितिन नवीन(अनुपस्थित)

क्रमांक-23 श्री फराज फातमी(अनुपस्थित)

क्रमांक-24 श्री राम विशुन सिंह(अनुपस्थित)

क्रमांक-25 श्री मो0नवाज आलम(अनुपस्थित)

क्रमांक-26 डा0 रामानुज प्रसाद(अनुपस्थित)

क्रमांक-27 श्री आबिदुर रहमान

(सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान द्वारा पढ़ा गया)

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड अन्तर्गत बटूरबाड़ी पंचायत को पी0एम0जी0एस0वाइ0 सड़क से झौवा से झमटा के बीच भलुआ नदी पर पुल का निर्माण करावे । ''

टर्न-21/अशोक/27.03.2018

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल अररिया जिला अन्तर्गत अररिया प्रखंड अंतर्गत बांसबाड़ी से समदा पी.एम.जी.एस.वाई. पैकेज संख्या बी.आर.01बी0/ 84 पथ जिसकी लम्बाई 15 कि.मी. है, में 12 वें कि.मी. पर 108 मीटर लम्बाई की उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-28(श्री जयवर्द्धन यादव) - अनुपस्थित

क्रमांक-29(श्री सत्यदेव सिंह)

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिलान्तर्गत कुर्था विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड बंशी के ग्राम बखोरी विगहा से करपी प्रखंड के शहरतेलपा ग्राम तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बखौरी बीघा को करपी शहरतेलपा माली पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पथ किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है विभाग का लक्ष्य सभी बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुन लिया जाय ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): जरूर सुनेंगे, बोलिये ।

श्री सत्यदेव सिंह : यह सड़क तीन कि.मी. लम्बी है, इस सड़क पर कई बसावटें बसी हैं, महादलित टोला है, चूंकि मठ है, महुसी टोला है, लोहरबीघा है इन गांवों को कहीं से सम्पकर्ता नहीं है महोदय । यह सड़क बनेगी तब ही सम्पर्कता बनेगी । इनको कार्यपालक अभियंता ने जो रिपोर्ट दी है वह झूठ का पुलिन्दा है महोदय उसी को मंत्री जी पढ़ रहे हैं ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सब बोले सत्यदेव बाबू सही लेकिन आपको झूठ शब्द नहीं बोलना चाहिये । हम कहेंगे बार-बार, आशा रखिये, यह सरकार है, थोड़ा सा मुस्करा जायेगी तो वसंत आ जायेगा। बैठिये ।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30(श्री फैयाज अहमद)- अनुपस्थित

क्रमांक-31(श्री दिनकर राम) - अनुपस्थित

क्रमांक-32(डा0 रंजु गीता)

डा0 रंजु गीता : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बंगराहा ग्राम में अधवारा नदी पर कृषि सिंचाई हेतु बराज सह उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल पहुँच पथ के साथ निर्माण सुनिश्चित करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखण्ड के अंतर्गत बशहा पश्चिमी पंचायत के ग्राम बंगराहा में अधवारा नदी पर सिंचाई हेतु बराज निर्माण तकनीकी रूप से सम्भाव्य पाया गया, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लने की कृपा करें ।

डा0 रंजु गीता : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद और माननीय मंत्री महोदय जी के आश्वासन के आलोक मे मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ । पढ़ाई लिखाई का मोल ही अलग है, भाषायें बदल जाती हैं, डाक्टर हैं, रिसर्चर हैं ।

क्रमांक-33(श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल को जिला का दर्जा प्रदान करे । "

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, राज्य में जिला, अनुमण्डल, प्रखंड, अंचल की पुनर्गठन हेतु मंत्रियों का समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी एवं प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है, प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है, प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकेगा। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, चूंकि यह शेरघाटी अनुमण्डल 12-13 लाख की आबादी वाला अनुमण्डल है और बिहार का सबसे सर्वाधिक आबादी का हिस्सा उसमें पड़ता है साथ ही साथ झारखण्ड राज्य के सीमा का क्षेत्र है, वहां पर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु, उस इलाके की समस्या के समाधान हेतु..

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): आपकी महत्ता को पहचान गये हैं तब न इस तरह का वो जवाब दिये हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-34(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के सिधवलिया रेलवे स्टेशन की खाली पड़ी लगभग 44 एकड़ की रेलवे की भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे । "

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय विद्यालय, गोपालगंज के लिये भवन निर्माण हेतु उचका गांव ब्लॉक के अरनाबाजार के समीप जमीन प्रस्तावित किया जा चुका है । गोपालगंज जिले के सिधवलिया रेलवे स्टेशन की भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से गुजारिश है कि वे अपना संकल्प वापस लें।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, मैंने तो कहा है कि जमीन खाली है केन्द्र सरकार बनाना चाहती है तो राज्य सरकार को केवल प्रस्ताव भेजना है, मैंने कहा कुछ और है जवाब कुछ और आ रहा है, मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि इसका प्रस्ताव भेज दें केन्द्र सरकार वहां बनाने के लिये तैयार है, प्रस्ताव भेजेंगे तो बन जायेगा ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): ठीक है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : इसी आशय के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-35(श्री लक्ष्मेश्वर राय)

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत लौकही प्रखंड के धरहरा पंचायत के गांव धरहारा के गुंजे गुरमैता के घर से डकही एस.एस.बी. कैम्प एवं डकही महादलित टोला से हाट चौक तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोरय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 3.1 कि.मी. है जो 300 मीटर ईंटकृत है, 300 मीटर पी.सी.सी. एवं शेष भाग कच्चा है तो पथ में पड़ने वाले महादलित टोला, मण्डल टोला एवं साह टोला जिसकी आबादी क्रमश: 400, 300 एवं 200 है, को सम्पर्कता प्राप्त नहीं है, यह पथ किसी कोर नेटवर्क में सम्मलित नहीं है । उक्त टोलों की अर्हता की जांच की जा रही है तदनानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-36 (डा0 राजेश कुमार) - अनुपस्थित

क्रमांक-37(श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड के पंचायत-कुढ़नी को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करे।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मत्री : महोदय, बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3 के प्रावधानानुसार अन्तरवर्तीय क्षेत्र अर्थात छोटे शहर नगर पंचायत के गठन हेतु कुल जनसंख्या 12 हजार और उससे अधिक होना चाहिए । साथ ही सभी दशाओं में गैर कृषि जनसंख्या 75 प्रतिशत या उससे अधिक होना आवश्यक है । जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से जिलांतर्गत नये नगर निकाय के गठन, उत्क्रमण के लिये संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार नगर पंचायत के गठन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करे ।

श्रीमती बेबी कुमारी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-38(श्री अमित कुमार)

श्री अमित कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं दैनिक अभ्यास हेतु एक स्टेडियम का निर्माण करावे ।"

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रीगा प्रखण्ड के महंथ रामानुज उच्च विद्यालय, रेवासी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 450 दिनांक 10 मार्च,2010 को दी जा चुकी है । क्रमश:

टर्न-22/27-03-2018/ज्योति

क्रमश:

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री: अतएव अभी एक ही प्रखंड में अभी दो स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, अतएव हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य बात भी सही है कोई खाते खाते मरे और कोई खाए बगैर मर जाय ।

श्री अमित कुमार: नहीं नहीं सर । वह जो बना है वह एकदम शिवहर के बोर्डर पर है और ब्लौक करीब 8 कि0मी0 दूर है हमलोग चाहते हैं कि वहॉ पर एक फिल्ड है ।..

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लीजिये, बहस की गुंजाईश नहीं है ।

श्री अमित कुमार: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक 39 - श्री रामदेव राय</u>

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत रुदौली बलान नदी एवं भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर दुर्गा स्थान बलान नदी में पूर्व से स्वीकृत पुल का निर्माण शीघ्र करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से चेक लिस्ट की मांग की गयी है, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामदेव राय: मुस्कुराहट के साथ, आपके आदेशानुसार मंत्री जी की कृपा पर निर्भर करते हुए वापस कर लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक 40- श्रीमती वर्षा रानी- अनुपस्थित

क्रमांक 41- श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याण्पुर प्रखंड के मणीछपरा रेलवे क्रासिंग सड़क पर के मानव रहित गुमटी पर फाटक लगाकर मानव सहित बनाने हेतु भारत सरकार के रेल विभाग को प्रस्ताव समर्पित करे ।''

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: सभापति महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याण्पुर प्रखंड के मणीछपरा रेलवे क्रासिंग सड़क पर के मानव रहित गुमटी पर फाटक लगाकर मानव सहित बनाने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमॉक 42- श्री सूबेदार दास - अनुपस्थित ।

क्रमांक 43- श्री नरेन्द्र कुमार नीरज- अनुपस्थित ।

क्रमॉक 44- श्री राम बालक सिंह

श्री राम बालक सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत एस0एच0-88 महावीर चौक (कल्याणपुर) से महिसारी बाबुपोखर चौक, चपता (मखनिया) टोला होते हुए एन0एच0-28 शंकरचौक (उजियारपुर) के प्रधानमंत्री सड़क का पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण कर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करावे ।''

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । इस पथ के फिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की गयी है । फिजिब्लिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, अच्छा उत्तर आया है ।

श्री राम बालक सिंह: सभापति महोदय, ग्रामीण कार्य मंत्री उपस्थित हैं और पथ निर्माण मंत्री जी उपस्थित हैं और यह दो तीन प्रखंड की सड़क है, हम आग्रह करेंगे कि इस पथ का अधिग्रहण कर लिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): मंत्री जी ने तो पौजिटिव उत्तर दिया है ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूॅं कि बहुत सारे सड़कों के अधिग्रहण के प्रस्ताव है । मैं थोड़ा माननीय सदस्यों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराना चाहता हूॅं । महोदय, हो क्या रहा है कि माननीय सदस्य कोई आवेदन देते हैं

सड़क के अधिग्रहण के बारे में और अगले ही महीने पूछने लगते हैं क्या हुआ, तो यह जो सड़क अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, वह थोड़ी लंबी है भईया। आप कोई आवेदन देते हैं तो हम फिजिब्लिटी रिपोर्ट मंगाते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और फिजिब्लिटी रिपोर्ट आती है, तब हमारे यहॉं पथ निर्माण विभाग में कमिटी है, उस कमिटी में चीफ इंजीनयर, इंजीनियर इन चीफ और जिस विभाग की सड़क होती है, उस विभाग के भी इंजीनियर इन चीफ उनको बुलाते हैं और तब हम बैठकर तय करते हैं कि हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, हम उसमें आर0ओ0डब्लू0 देखते हैं, क्या चौड़ाई है कई चीजों का, विचार करते हैं, वह जब कमिटी तय कर लेती है कि वह लिया जा सकता है तब एन0ओ0सी0 के लिए संबंधित विभाग को भेजते हैं, वहॉं से एन0ओ0सी0 आता है, तब इसको नोटिफाई करते हैं, यह प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप अपना संकल्प वापस ले लीजिये, हमने रिपोर्ट मंगायी है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री राम बालक सिंह: हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉंक 45- श्री अजीत शर्मा

श्री अजीत शर्मा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर में पूर्व से हवाईपट्टी है, उसे वायुमार्ग से जोड़ने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करें ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, भागलपुर हवाई अड्डा, बिहार सरकार के अधीन आवश्यकतानुसार ऑपरेशनल हवाई पट्टी है, उक्त हवाई पट्टी की लम्बाई 3200 फीट है, जो व्यवसायिक उड़ान के लिए अपर्याप्त है, वर्तमान में इसका उपयोग राज्य सरकार छोटे विमान, राज्य के हेलीकॉप्टर के उड़ान के क्रम में आवश्कतानुसार करती है । भागलपुर हवाई अड्डे पर नौन शिड्युल ऑपरेशन द्वारा भी समय समय पर छोटे विमान हेलीकौप्टर का भी उपयोग व्यवसायिक रुप में आवश्यकतानुसार किया जा रहा है । किसी भी हवाई अड्डे से व्यवसायिक सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय नगर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय विमान पतनम प्राधिकार द्वारा लिया जाता है । देश के छोटे छोटे शहरों में वायु मार्ग से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय नगर विमानन नीति 2016 के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्कता योजना की परिकल्पना की गयी है, जो मुख्यत: मांग आधारित है जिसके अंतर्गत बाजार एवं क्षेत्रीय मांगों के आधार पर इच्छुक एयरलाईन्स ऑपरेटर्स तय करते हैं, रुट तय करते हुए, अपना प्रस्ताव भारतीय विमान पतनम प्राधिकार जो इसके इम्पलीमेंटिंग एजेन्सी घोाषित की गयी है, के द्वारा भायब्लिटी गैप फंडिंग तय करते हुए स्वीकृति

प्रदान करती है । राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई पट्टियों के साथ ही साथ भागलपुर हवाई पट्टी को भी आर0सी0सी0 के अंतर्गत सबमिट करने हेतु विभगीय पत्रांक-267 दिनॉक 3-11-2017 द्वारा नगर विमाणन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न शहरों के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण की बिडिंग में बिहार से दरभंगा हवाई अड्डा का चयन मे0 इंडिगो एयरलाईन्स द्वारा दरभंगा-मुम्बई, दरभंगा-दिल्ली एवं दरभंगा-बंगलोर के लिए किया गया है । दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा से उड़ान के निमित अग्रेतर कार्रवाई भारत सरकार के प्रक्रियाधीन है लेकिन भागलपुर के विषय में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री अजीत शर्मा: सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा मंत्री महोदय को पता है कि भागलपुर का सिल्क नगरी पूरे विश्व में विख्यात है, वहॉ का सिल्क उद्योग बीमार पड़ रहा है इस हवाई सेवा के नहीं रहने से वह विचाराधीन नहीं है केन्द्र सरकार के पास लेकिन हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को भेजे और उसको तत्काल शुरु कराने का काम करें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अजीत शर्मा: मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक 46-श्रीमती बेबी कुमारी</u>

श्रीमती बेबी कुमारी: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहॉ विधान सभा क्षेत्र के अधीन छपरामेघ स्थित बाबा दुधनाथ महादेव स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करे ।''

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है । इसे पर्यटन रोड मैप में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है । पर्यटकों के आवागमन तथा भूमि की उपलब्धता इत्यादि बिन्दुओं के आधार पर विचारोपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण किया जाता है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): वापस लीजिये ।

श्रीमती बेबी कुमारी: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । बड़े प्रतीक्षा के बाद प्रमोद बाबू का नंबर आया और आपके पक्ष में है शत प्रतिशत, भविष्य में प्रतीक्षा कीजिये ।

क्रमॉक-47, श्रीमती कविता सिंह

श्रीमती कविता सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिलान्तर्गत दरौंदा विधान सभा क्षेत्र के सिसवन प्रखंड स्थित चैनपुर टारी रोड पर कसाड़ नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित स्थल पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्मित चैनपुर टारी बाजार पथ के रेखांकण पर है, इस स्थान का कसाड़ नदी पर लगभग 40 वर्ष पुराना पुल क्षतिग्रस्त है । उक्त स्थल पर नये पुल के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ा स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा, अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्या ।

श्रीमती कविता सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि वहॉ से डी0पी0आर0 तैयार होकर आ गया है । माननीय मंत्री जी स्वीकृति प्रदान कर दे, ताकि वह रोड बन रहा है और उस पर जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण हो जाय । माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में अगर वह आश्वासन देते हैं कि हॉ इस वित्तीय वर्ष में उस पुल का निर्माण करा देंगे, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-23/27.3.2018/बिपिन

क्रमांक- 48 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 131A स्थित बलरामपुर पुल के पास भोला मन्दिर से बैद्यनाथपुर छर्रामारी तक सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री शैलश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना L26T02 से करीमुल्लाहपुर उत्तरी के नाम से चयनीत है । उक्त पथ की लंबाई 0840 कि0.मी.

है जो कि निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा निष्पादन के पश्चात् उस पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह:मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 49 : श्री विजय कुमार खेमका</u>

श्री विजय कुमार खेमका: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती 23 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी राज्य दण्डाधिकारी न्यायालय में वर्ष 2018 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 14096 दिनांक 8.11. 2017 द्वारा अवकाशों की सूची अधिसूचित की गई है । नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती 23 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 50 : श्री हरिनारायण सिंह</u>

श्री हरिनारायण सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड के ग्राम पंचायत दामोदरपुर बलधा के ग्राम खपुरा कला में विगत् 15 वर्षो से संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्र का उपलब्ध भूमि पर भवन का निर्माण करावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम खपुरा कला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र सामुदायिक भवन में संचालित है । यहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु जमीन उपलब्ध करा दी गई है । अगले वित्तीय वर्ष में सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण का कार्य विहित प्रक्रिया के अनुसार कराया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री हरिनारायण सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 51 : श्री गिरिधारी यादव

श्री गिरिधारी यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के निजी नर्सिंग होम्स/अस्पतालों में ऑक्सीजन, नर्सिंग, चिकित्सीय, कार्डियक मोनेटरिंग, वेंटिलेटर्स सहित सभी सुविधाओं के साथ आई.सी.यू. का अधिकतम दर निर्धारित करे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, सरकार द्वारा क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, 2010 के तहत मेडिकल प्रोसिड्योर एंड सर्विसेज के दर निर्धारित करने हेतु विभागीय पत्रांक 117(18) दिनांक 25.1.2017 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है । समिति के द्वारा देश के अन्य राज्यों में बेस्ट प्रैक्टिसेज एवं मेथड का अध्ययन किया जा रहा है । समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री गिरिधारी यादव : माननीय सभापति महोदय, यह तो बिहार का मुद्दा है । गरीब लोगों से तीन लाख, चार लाख जबर्दस्ती वे लोग ले रहे हैं । ये लोग एम्बुलेंस वाले की मिलीभगत से वहां ले जाते हैं । जल्दी करे सरकार महोदय । यह राज्य के गरीबों के हित का मुद्दा है । बहुत परेशानी में राज्य की जनता है महोदय । साथ ही, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 52 : श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा विधान सभा के ग्राम-रामनगर, महाराजगंज में पथ एवं पुल जर्जर हो चुका है, इसे जनहित में अविलम्ब निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रामनगर, महाराजगंज सड़क पथ निर्माण विभाग को स्थानान्तरित है । इस सड़क एवं पुल का डी.पी.आर. पथ निर्माण, औरंगाबाद द्वारा आर.सी.पी.एल.डब्लू.डी, आर.सी.पी. रोड कनेक्टिविटी प्लान योजना अंतर्गत एन.आर. आर.डी.ए. को समर्पित है ।

पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल संख्या-1 औरंगाबाद के पत्रांक- 63 दिनांक 17.1.2018 में संलग्न सूची के क्रमांक-2 पर अंकित पथ का यह पथांश है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव पहले आर.डब्लू.डी. द्वारा निर्धारित था और अब यह प्रस्ताव चला गया है दूसरे विभाग को, तो इसको पहल करके डी.पी.आर. करके बहुत जरूरी है, वह तीन साल से जर्जर है । इसलिए आग्रह करेंगे आपके माध्यम से । साथ ही, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 53 : श्री अचमित ऋषिदेव</u>

श्री अचमित ऋषिदेव :सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रजोखर से मिर्जापुर तक 10 कि.मी. ग्रामीण कार्य विभाग के पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करे ।''

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है । कार्यपालक अभियंता से फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है । फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अचमित ऋषिदेव :मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 54 : श्री सुबाष सिंह</u>

श्री सुबाष सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के किसानों को कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति कृषक प्रतिवर्ष 10,000/- रूपये की राशि ''कृषक भत्ता'' के रूप में भुगतान करे ।''

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: महोदय, किसानों को कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति कृषक प्रति वर्ष दस हजार रूपया की राशि कृषक भत्ता के रूप में प्रदान करने के लिए कृषि विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री सुबाष सिंह : महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज लोग खेती छोड़कर चौकीदारी, कुलीगिरी और दरबानी करना पसंद करते हैं । कृषि योग्य जमीन परती पड़ती जा रही है । अगर इस तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया गया, जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, उस तरह नहीं दिया जाएगा तो बाकी खेत भी जो है वह परती रह जाएगी । इसलिए मेरा आग्रह होगा मंत्रीजी से कि इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए किसान हित में चूंकि यह पूरे बिहार की समस्या है, इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 55 : श्री अरूण कुमार

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-56 : श्री विद्या सागर केसरी

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक- 57 : श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मिथिलांचल की धरोहर, पाण्डुलिपियॉं, पौराणिक पुस्तकें एवं दस्तावेज, संग्रहालय में रखे गए ऐतिहासिक कलावस्तु का संरक्षण एवं सांस्कृतिक सम्पदा में हो रहे क्षरण को बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (NRLC), लखनऊ की एक शाखा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा के कैम्पस में खोलने का आग्रह करे ।''

श्री विनोद नारायण झा, मंत्रीः सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा के पुरावशेष एवं कलाकृतियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला एन. आर.एल.सी. लखनऊ के पदाधिकारियों द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अनुरोध पर दिनांक 13 जनवरी, 2018 से 20 जनवरी, 2018 तक संग्रहालय के पुरावशेष कलाकृतियों जो हाथी दांत तथा लकड़ी से निर्मित है, का सर्वेक्षण किया गया है । उसका प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, लखनऊ, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था है जहां एक अनुसंधानशाला लखनऊ की एक शाखा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय,

दरभंगा के कैम्पस में खोलने का प्रश्न है तो यह एन.आर. एल.सी. का कार्य समाप्त हो जाने के बाद उनके प्रयोगशाला की कोई विशेष उपयोगिता रह नहीं जाएगी ।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पुरावशेष कलाकृतियों के संरक्षण कार्य हेतु बिहार विरासत विकास समिति के अंतर्गत केन्द्रीयकृत संरक्षण प्रयोगशाला की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अतएव, दरभंगा महाराज के लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में एन.आर.एल.सी. की शाखा खोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

ऐसी परिस्थिति में हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न: 24/कृष्ण/27.03.2018

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय,मैंने जो मामला उठाया है, पूरे मिथिला में जो हजारों साल पांडुलिपियां हैं, हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, वे बर्बाद हो रहे हैं । उसके लिये, जो एन0आर0एल0सी0 के अधिकारी आये थे दरभंगा में काम करने के लिये, उन्होंने ही कहा था कि अधिकांश राज्यों में इसकी शाखा है लेकिन बिहार में अभी तक इसकी कोई शाखा नहीं है । माननीय मंत्री जी का कहना है कि लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाईब्रेरी में कोई एक कला वस्तु है उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से काम हो गया, कोई काम नहीं बचा है । मिथिला में इतनी पांडुलिपियां हैं, इतने धरोहर हैं, उनको संरक्षित करने के लिये बिहार में एन0आर0एल0सी0 की एक कार्यालय हो जाये और इसमें करना कुछ नहीं है राज्य सरकार को, केवल एक अनुशंसा कर दे भारत सरकार को । महोदय, अनुशंसा करने में क्या दिक्कत है कला,संस्कृति एवं युवा विभाग को, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : सभापति महोदय, शायद इन्होंने सुना नहीं । बिहार सरकार खुद ही कलाकृतियों के संरक्षण कार्य हेतु बिहार विरासत विकास समिति के अन्तर्गत केन्द्रीय संरक्षित प्रयोगशाला खोलना चाहती है । इसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसलिए दिल्ली से कराने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है । हम अपने सारे कलाकृतियों को प्रयोगशाला के आधार पर करेंगे ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, एक सेकेंड । मेरा कहना यह है कि राज्यों की अलग विरासत की संरक्षण करने का रहता है । लेकिन भारत सरकार का एन0आर0एल0सी0 का एक ब्रांच है जो अधिकांश राज्यों में है तो इसमें बिहार सरकार को क्या लगेगा सभापति महोदय ? केवल एक अनुशंसा कर दें कि यहां भी एन0आर0एल0सी0 की शाखा बिहार में खोला जाय । भारत सरकार को खोलना है । यही मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है । इसी के साथ में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0स0श्री संजय सरावगी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक : 58 श्री फैसल रहमान</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>क्रमांक : 59 श्री अशोक कुमार</u>

श्री अशोक कुमार : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के छात्र-छात्राओं को पत्रकारिता विषय में अध्ययन हेतु अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य भी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना करे ।"

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा आर्यभट्ठ ज्ञान विश्वविद्यालय,पटना के परिसर में पत्रकारिता एवं जन संचार की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु एक स्वायतशासी उत्कृष्ठ शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना किया जा चुका है । यह शैक्षणिक केन्द्र आर्यभट्ठ ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध होगा । अत: अलग से पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अशोक कुमार: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री अशोक कुमार का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक : 60 श्री राज किशोर सिंह</u>

श्री राज किशोर सिंह : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के ग्राम पंचायत कन्हौली धनराज में कन्हौली से बिशनपुरा पथ में विश्वकर्मा मंदिर के निकट क्षतिग्रस्त पुलिया का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित पुलिया कन्हौली ग्राम के अन्तर्गत पथ में पड़ता है । इसमें 200 मीटर का पी0सी0सी0 का कार्य जिला योजना से कराया गया है । यह पथ किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । कन्हौली ग्राम को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 अंन्तर्गत मनियारपुर से बिशनपुर गढ़ पथ स्वीकृत है । अभिस्तावित स्थल पर पुलिया निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन

नहीं है । अत:माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 61 श्री अवधेश सिंह

श्री अवधेश सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पहलेजा घाट,सोनपुर से हाजीपुर होते हुये मुजफ्फरपुर गरीब स्थान मंदिर तक कच्ची कावरियां पथ का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय,अभिस्तावित पथ ग्रामीण कार्य विभाग के रेखांकन या कोर नेटवर्क पर नहीं है। अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अवधेश सिंह : सभापति महोदय, आस्था का विषय है । माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि लाखों कावरियां जाते हैं, महिलायें जाती हैं, नेटवर्क में नहीं है, यह तो हमलोगों को भी मालूम है । लेकिन मेरा आग्रह है कि कोई न कोई व्यवस्था तो होना चाहिए। इसी आग्रह के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अवधेश सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 62 श्री राज कुमार राय

श्री राज कुमार राय : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड में एक स्नातक महाविद्यालय की मान्यता प्रदान करे । "

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । समस्तीपुर जिला का हसनहपुर प्रखंड रोसड़ा अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहां पूर्व से यू0आर0कॉलेज,रोसड़ा एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है । अत: हसनपुर प्रखड में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राज कुमार राय : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राज कुमार राय का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>कमांक : 63 श्री भोला यादव</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>कमांक : 64 श्री चन्दन कुमार</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>कमांक : 65 श्री मनोज कुमार</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>कमांक : 66 श्री महबूब आलम</u>

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

<u>कमांक : 67 श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह</u>

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : सभापति महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिला में मटिहानी प्रखंड शाम्हो-अकहा-कुरहा प्रखंड के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित स्थल गंगा नदी के उत्तर तरफ मटिहानी प्रखंड को बेगुसराय मटिहानी पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं दक्षिण तरफ शाम्हो-अकहा-कुरहा को पी0एम0जी0एस0वाई0 से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित स्थल पर पुल का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य उक्त संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ बोगो सिंह : सभापति महोदय, आप तो शुरू से संरक्षण दिये हैं । बेगुसराय जिलासे शाम्हो प्रखंड में पटना जिला, लखीसराय जिला होकर शाम्हो जाना पड़ता है उसकी दूरी लगभग 60 से 65 कि0मी0 है और शाम्हो प्रखंड की आबादी लगभग 70 हजार की है और शाम्हो के लोग लखीसराय जिला, पटना जिला होकर बेगुसराय कोर्ट कचहरी के कार्य के लिये आते हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पुल को आप विचार करने योग्य जरूर समझे । इसी अनुरोध के साथ में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार उर्फ बोगो सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-25/सत्येन्द्र/27-3-18

क्रमांक-68 श्री बशिष्ठ सिंह

श्री बशिष्ठ सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड के डुमरा(मठिया) पोखरा एवं मंदिर का सौन्दर्यीकरण करावे।"

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री: सभापति महोदय, किसी मंदिर के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव सरकार के पास अभी विचाराधीन नहीं है । भविष्य में कभी ऐसा विचाराधीन हुआ तो इस मंदिर पर भी विचार किया जायेगा । अभी मैं माननीय सदस्य अनुरोध करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री बशिष्ठ सिंह: महोदय, मंदिर के साथ-साथ इसमें पोखरा भी है, शंकर भगवान का मंदिर है, वहां महोदय 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बड़ा व्यापक मेला भी लगता है बहुत दिनों से और बड़ा पोखरा है, वहां शादी विवाह होता है । महोदय, वहां छठ भी कई गांव के लोग आकर करते हैं इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि आप इसको सौन्दर्यीकरण पोखरा का भी करावें और मंदिर का घेराबंदी करावें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) वापस लीजिये ।

श्री बशिष्ठ सिंह: जी, आपके आदेश से वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-69 श्री आनंद शंकर सिंह

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक 70 श्री अशोक कुमार सिंह

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक- 71 श्री रवि ज्योति कुमार

श्री रवि ज्योति कुमार: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के राजगीर स्थित जरासंघ की प्रतिमा जो जरा देवी मंदिर के बगल में स्थित है, उसे संरक्षित करावे ।"

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जरासंघ की प्रतिमा जो जरा देवी मंदिर के सटे है, की स्थापना 1983 ई0 में स्थानीय डोली पालकी यूनियन, राजगीर के द्वारा की गयी थी । जरांसघ की प्रतिमा बालू सीमेंट की बनी है

और इसकी ऊंचाई 10 फीट है । प्रतिमा के मंदिर की देखरेख डोली पालकी यूनियन, राजगीर के तरफ से की जाती है । प्रतिमा को पुरावशेष की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है । अतएव प्रतिमा कला संस्कृति विभाग के अधीन नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) माननीय सदस्य,वापस लीजिये ।

श्री रवि ज्योति कुमार: वापस तो लेंगे ही..

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 72 श्री सैयद अबु दौजाना

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-73 श्री मो0 नेमातुल्लाह

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-74 श्री सरोज यादव

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-75 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगावाद जिला में बिहार विभूति डॉ0 अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर अनुग्रह नारायण विश्वविद्यालय बनावे ।"

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि मगध प्रक्षेत्र के सभी महाविद्यालयों के लिए पूर्व से मगध विश्वविद्यालय, बोध गया स्थापित है एवं संचालित है । औरंगावाद में किसी अन्य विश्वविद्यालय के स्थापना का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अत: अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । सभापति महोदय, यह मामला जो है औरंगावाद में उठा था और माननीय मंत्री जी वहां चीफ गेस्ट थे । इन्होंने उस सभा में आश्वासन दिया था कि मैं औरंगावाद में अनुग्रह बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूॅ और मैं संकल्प लाया तो सरकार निगेटिव जवाब दे रही है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): वापस लीजिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:मैं मंत्री जी से कुछ आश्वासन चाहता हूॅ ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: सभापति महोदय, इन्होंने एक बात की याद दिलायी ये बात सही है कि मैं वहां गया था और मैंने इस तरह की बात कुछ की थी ...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) बैठिये । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 76 श्रीमती अमिता भूषण

श्रीमती अमिता भूषण: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूॅ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिला के बीरपुर प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की स्थापना करावे ।"

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: बेगूसराय जिला के बीरपुर प्रखंड में निम्नांकित बैंक कार्यरत हैं:- यूको बैंक, बीरपुर शाखा, यूको बैंक,मुजफ्फरा शाखा, बिहार ग्रामीण बैंक, नौला शाखा, आई0डी0आई0बी0 आई0 बैंक,सरंजा शाखा, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने हेतु सर्वेक्षण एवं उसकी फिजिब्लिटी परीक्षण का कार्य चल रहा है । मैं आग्रह करूंगा कि वे वापस ले लें, चूंकि इसके सर्वेक्षण का काम चल रहा है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) यह डिप्टी सी0एम0 का बड़प्पन है । समझो मार लिया बाजी, वापस लीजिये ।

श्रीमती अमिता भूषण: वापस लेती हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 77 डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता

डॉ0 सी0एन0गुप्ता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा जिला अन्तर्गत छपरा सदर प्रखंड के एक नम्बर रेलवे ढाला में ओमनगर कॉलोनी तक के सड़क का पक्कीकरण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ ओमप्रकाश कॉलोनी का आंतरिक पथ है जो रेलवे ढाला संख्या-1 से लगभग 50 मीटर की दूरी से शुरू होती है जिसके लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है । कॉलोनी के आंतरिक पथ का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 सी0एन0गुप्ता: वापस लेता हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-78 श्रीमती सुनीता सिंह चौहान

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूॅ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अतिपिछड़ा समाज के मल्लाह निषाद (बिन्द,बेलदार,चांई,तियर,खुलवट,सुरहिया,गोढ़ी,

वनपर,केवट) एवं नोनिया जाति को बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय,राज्य सरकार द्वारा मल्लाह निषाद बिन्द,बेलदार,चांई,तियर, खुलवट,सुरहिया,गोढ़ी,वनपर, केवट एवं नोनिया जाति को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अधिसूचित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया था । इसके आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इन जातियों का इथनोग्राफीक रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इन जातियों का इथनोग्राफीक रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना से अनुरोध किया गया है तथा इसके निमित सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षा कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: अभी फिलहाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान: मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-79 श्री श्याम रजक</u>

श्री श्याम रजक: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग भूमिहीन के प्रत्येक परिवार को आवासीय सुविधा के लिए दस डीसमल जमीन बिना किसी मूल्य के प्रदान करे ।''

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: 1- सभापति महोदय, राज्य के गृहविहीन महादलित परिवारों, अनुसूचित जनजाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 को क्रमश: महादलित विकास योजना, ट्राईबल सबप्लैन योजना एवं गृह स्थल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 से 03 डी0 जमीन आवासन हेतु उपलब्ध कराने का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया । उक्त योजनाओं के प्रभाव में आने के पूर्व भी गैर मजरूआ आम/खास जमीन की बन्दोबस्ती करके, वासगीत पर्चा उपलब्ध कराकर आवासन हेतु भूमि उपलब्ध करायी जाती थी । उक्त के अतिरिक्त गैर गजरूआ आम/खासजमीन की बन्दोबस्ती कर भू-हदबंदी के अन्तर्गत अधिशेष भूमि की बंदोबस्ती कर एवं भूदान का प्रमाण-पत्र के माध्यम से सक्षम श्रेणी के परिवारों को आवासन एवं कृषि कार्य हेतु जमीन की बंदोबस्ती की जाती थी । (क्रमश:)

टर्न-26/मधुप/27.03.2018

...क्रमशः....

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री : 2. वित्तीय वर्ष 2014-15 से विभागीय अधिसूचना सं0-153(8) दिनांक-09.02.2015 के द्वारा पूर्व के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए सभी सक्षम श्रेणी के वैसे परिवारों, जिन्हें आवासन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होना पाया गया, को 5 डी0 जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । जिन मामलों में इस प्रकार के परिवारों को कलस्टर में आवासित किये जाने की व्यवस्था की जाती है, वैसे मामलों में प्रति परिवार 01 डी0 अतिरिक्त भूमि आंतरिक रास्ता एवं सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी जाती है ।

3. पूर्व में संचालित महादलित विकास योजना ट्राईबल सबप्लैन योजना एवं गृह स्थल योजना को सम्बद्ध करते हुये अभियान बसेरा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके तहत सक्षम श्रेणी के गृहविहीन परिवारों को 5 डी0 जमीन उपलब्ध करायी जाती है । जिन मामले में सरकारी जमीन की बंदोवस्ती किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है अथवा वासगीत पर्चा के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाता है, वैसे मामलों में न्यूनतम प्राक्किलत राशि (एम0वी0आर0-सर्किल रेट) पर जमीन क्रय कर 5 डी0 जमीन आवासन हेतु उपलब्ध करायी जाती है ।

उपर्युक्त आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रश्नगत गैर सरकारी संकल्प को वापस लेना चाहेंगे ।

श्री श्याम रजक : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कुछ अंशतः सकारात्मक जवाब दिया है लेकिन हम बताना चाहते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार अभी भी 65 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग भूमिहीन और गृहविहीन हैं । अभी भी लगभग 4 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास एकदम जमीन नहीं है, 8 लाख परिवार जिनके पास 1 डिसमल जमीन से भी कम है, 18 लाख परिवार जिनके पास 2 डिसमल जमीन है ।

ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प भी है कि महादलितों/दलितों को हम सामाजिक संबल के साथ-साथ आर्थिक संबल भी देंगे, कई योजनाएँ सरकार हैं जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, उसके लिये उनको अगर 10 डिसमल जमीन मिलती है तो वह आर्थिक संबल भी होगा और राज्य की उन्नति भी होगी, जी0डी0पी0 भी हमारा मजबूत होगा ।

इसलिये हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि 10 डिसमल जमीन देने के लिये आप विचार करें और इस माँग के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री श्याम रजक का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80 : श्री निरंजन कुमार मेहता

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के पहाड़पुर कुशवाहा टोला से डफरा सड़क तक पथ का निर्माण करावे ।"

महोदय, मैं मंत्री महोदय को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, मैंने प्रश्न दो खण्ड में किया था । पहला बार भी मंत्री महोदय द्वारा सकारात्मक जवाब मिला है कि पहाड़पुर होकर कुशवाहा टोला सड़क की प्रक्रियाधीन है, वह हो जायेगा मुझे विश्वास है, हम भी लगे हुये रहते हैं । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा......

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आपने प्रस्ताव पढ़ा, हो गया, बैठ जाइये । फिर मौका मिलेगा ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ पहाड़पुर कुशवाहा टोला से डफरा सड़क तक, इसमें एक बसावट डफरा को पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क टी02 रार से डफरा पथ से सम्पर्कता उपलब्ध है एवं पहाड़पुर कुशवाहा टोला को एम0एम0जी0एस0वाई0 विश्व बैंक अन्तर्गत फेज-1 बैच-3 में चयनित किया गया है । इस टोला को उक्त पथ के निर्माण से सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । अभिस्तावित पथ पहाड़पुर कुशवाहा टोला को डफरा से जोड़ने के लिये इस सड़क की लम्बाई 0.50 कि0मी0 है जो निजी जमीन है, यह पथ किसी कोर-नेटवर्क में शामिल नहीं है । अभिस्तावित पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, एक मिनट । आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि निजी जमीन है, हम भी मान रहे हैं । निजी जमीन जिनका है वह जमीन सरकार को देने के लिये बिना पैसा का तैयार हैं लेकिन वह भी हम नहीं चाहेंगे। हम मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि पहाड़पुर होकर सम्पर्कता दी जा रही है लेकिन यह जो कुशवाहा टोला से डफरा टोला जो माँग किये हैं, इसमें एक मरियाधार पुला है, बहुत छोटा पुला दो स्पैन का लगेगा, एक कैनाल पर लगेगा । इसके लिये मैं आग्रह करता हूँ और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-81 : श्री शमीम अहमद

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक-82 : श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत के केशोवन के समीप कोहड़ा नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत 141 धोबैया से सिकहरिया पथ के मार्गरेखन पर है । उक्त पुल निर्माण हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ओमास के प्रोपोजल मोड्युल के बैच-4 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रस्तावित है । उक्त पुल का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है। तत्पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जा रही है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देते हुये प्रस्ताव वापस करता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मदन मोहन तिवारी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-83 : श्री ललन पासवान

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में अवस्थित गुप्ता धाम पर्यटक स्थल मल्हीपुर चेनारी से पटना तक बस का परिचालन करावे ।''

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : महोदय, निगम के बेड़े में बसों की कमी रहने के कारण उक्त मार्ग पर बसों का परिचालन विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य ललन पासवान जी, कृपया संकल्प वापस लीजिये। बस उपलब्ध होने दीजिये ।

श्री ललन पासवान : महोदय, परिवहन की बसों का अभाव हो सकता है लेकिन मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, गुप्ता धाम देवघर के बाद सबसे प्रचलित जगह है, प्राचीन धरोहर है इस देश का, गुप्ता धाम जहाँ शिव अपनी जान बचाये थे, भस्मासुर को भस्म किये थे, करोड़ो-लाखो लाख लोग जाते हैं । माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, मैं आग्रह के साथ कहूँगा कि वहाँ पटना से लेकर राजधानी से जोड़ने की बात है, पर्यटक स्थल है इसलिये बस की उपलब्धता परिवहन विभाग करावे । नहीं है तो कहीं से काटकर दें ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री ललन पासवान : जी ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री ललन पासवान का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-84 : श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह</u>

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड में केदोन कैनाल के उत्तरी क्षेत्र के जमीनों की सिंचाई की व्यवस्था करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति है कि दोन शाखा नहर एक कंट्युर कैनाल है जिससे केवल एक तरफ यानी दोन नहर के दक्षिणी भाग में सिंचाई हेतु प्रणालियों का निर्माण किया गया है । दोन शाखा नहर के उत्तरी भाग में अवस्थित भूमि का लेवेल नहर के एफ0एल0एल0 से ऊंचा है । साथ-ही, भूमि का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है जिसके कारण दोन शाखा नहर से उत्तरी भाग में स्थित भूमि में सिंचाई का पटवन सम्भव नहीं है । विभागीय पत्रांक-541 दिनांक- 13 मार्च, 2018 से मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी को पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड में दोन शाखा नहर के उत्तरी क्षेत्र के जमीनों के सिंचाई की व्यवस्था हेतु स्थल निरीक्षणोपरांत संभाव्यता प्रतिवेदन प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : धीरेन्द्र प्रताप जी, पोजिटीव उत्तर है, वापस लेंगे ?

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85 : श्री जनार्दन मांझी

श्री जर्नादन मांझी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत शम्भूगंज प्रखंड के मिर्जापुर से किरणपुर 5.775 कि0मी0 पथ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ पूर्ण रूप से गड्ढे में तब्दील हो चुका है, का शीघ्र जीर्णोद्धार करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ का निर्माण केन्द्रीय एजेन्सी एन0बी0सी0सी0 द्वारा दिनांक-29.04.2009 को पूर्ण कराया गया है । उक्त पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है । यह पथ श्रेणी-2 के अन्तर्गत है । उक्त पथ की मरम्मति का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य जनार्दन मांझी जी, वापस लीजिये ।

श्री जर्नादन मांझी : सभापति महोदय, यह पथ पहले एन0बी0सी0सी0 कम्पनी से बनी थी और एन0बी0सी0सी0 बिना काम को फाईनल किये हुये चला गया । यह पथ काफी जर्जर हालत में है इसलिये मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसको बनवाया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री जर्नादन मांझी : प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री जर्नादन मांझी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-27/आजाद/27.03.2018

क्रमांक-86 : श्रीमती समता देवी

माननीय सदस्या अनुपस्थित

क्रमांक-87 : श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला सीतामढ़ी का नाम बदल कर नया नाम सीतामही करावे । "

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, राज्य में जिला, प्रखंड, अनुमंडल निर्माण हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है । मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिव की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में

जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्य पूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिव के समिति के समक्ष विचरार्थ रखा जायेगा । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, वापस ले लीजिए । इनका भी प्रश्न सही है, कई लोग प्रभावित होकर के मद्रास को चेन्नई बना दिया और कलकत्ता को कोलकाता और यह सीता मईया का मामला है, पोजेटिव सोच माननीय मंत्री जी का।

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, असली नाम वहां का सीतामही है और वह सीता माँ की धरती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि सीतामही करा दें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, इसे वापस ले लीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : मैं इसे वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-88 : श्री समीर कुमार महासेठ

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-89 : श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत पड़ने वाले चम्पारण तटबंध के कोईरपटी से लेकर रामनगर बैरिया तक तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि चम्पारण तटबंध के कोईरपटी बांध से रामनगर बैरिया तक बांध की लम्बाई 22.8 कि0मी0 है । उक्त तटबंध के टॉप पर ब्रीकसोलिंग किया हुआ है । नदियों पर निर्मित तटबंध के टॉप का उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध का निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के लिए परिवहन हेतु किया जाता है । यह आम रास्ता नहीं है । वर्तमान में सड़कों के पक्कीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : श्री नारायण बाबू, वापस लीजिए ।

श्री नारायण प्रसाद : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि दो प्रखंडों को यह सड़क जोड़ती है और चम्पारण तटबंध पर लोग पोआल रखता है, खर रखता है, गोबर का ढ़ेर रखता है, जिससे चम्पारण तटबंध में चूहा लग जाता है और चूहा लगने से बांध टूटने का भय रहता है .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : वापस लीजिए कृपया, हो गया ।

श्री नारायण प्रसाद : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको किया जाय । मैं इसे वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>कमांक-90 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहिन</u>

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सिनियर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी पूछेंगे ।

श्री रामदेव राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर जंक्शन एवं कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या-53ए को जाम से निजात दिलाने हेतु रेलवे क्रॉसिंग संख्या-53ए पर आर0ओ0बी0 का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराने हेतु केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करे । ''

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर जंक्शन एवं कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या-53ए को जाम से निजात दिलाने हेतु रेलवे क्रॉसिंग संख्या-53ए पर आर0ओ0बी0 का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह तो मान गई सरकार, यह तो स्वीकृत हो गया, धन्यवाद दीजिए ।

श्री रामदेव राय: बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>कमांक-91 : श्री सुधांशु शेखर</u>

श्री सुधांशु शेखर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के 33 पंचायतों में से बसैठ को प्रखंड का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखंड के बसैठ को प्रखंड

को दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देशित किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुधांशु शेखर : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-92 : श्री लाल बाबू राम

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-93 : श्री नीरज कुमार

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-94 : सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के फलका प्रखंड अन्तर्गत मोरसंडा पंचायत में बरंडी नदी के कमला घाट पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक ओर बालूटोला बसावट है, जिसे एम0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है तथा दूसरी ओर मोरसंडा मुशहरी महादलित टोला है जो कि वसुंधरा से पक्की सड़क से सम्पर्कता प्रदत्त है। अभिस्तावित पुल के डाऊन एवं अपस्ट्रीम में क्रमश: 5 कि0मी0 एवं 7 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, कृपया वापस लीजिए ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : मैं इसे वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

लेकिन एक उद्गार व्यक्त करता हूँ, आप बड़े निष्ठुर हैं, आप तो एम0एल0ए0 हैं, माननीय सदस्य हैं, इतना करारा प्रहार एक माननीय मंत्री शैलेश जी पर, उठाते-बैठाते आपलोगों ने तबाह कर दिया, आपलोग कमाल हैं ।

क्रमांक-95 : श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-96 : श्री भाई वीरेन्द्र

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-97 : श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम

माननीय सदस्या अनुपस्थित

क्रमांक-98 : श्री चन्द्रशेखर

माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमांक-99 : श्री सुबोध राय

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज के विश्वविख्यात श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजे । "

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : सभापति महोदय, प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण श्रावणी माह की अवधि में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों एवं देश-विदेश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज स्थित उत्तरायणी गंगा से जल लेकर 108 कि0मी0 की दूरी पैदल यात्रा करते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ महादेव जी के मंदिर में जलाभिषेक करते हैं । सुलतानगंज से श्रद्धालु गंगाजल लेकर बिहार राज्य में 85 कि0मी0 की दूरी यात्रा करते हैं । शेष मार्ग झारखंड राज्य में अवस्थित है । मुख्य मेला झारखंड राज्य के देवघर में आयोजित होता है ।

उल्लेखनीय है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज में आयोजित होने वाले इस श्रावणी मेले को राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है, जिससे संबंधित अधिसूचना सं0-1930, दिनांक 03.05.2008 निर्गत है । उक्त मेला के आयोजन एवं रख-रखाव हेतु प्रति वर्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राशि आवंटित की जाती है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम,2008 में राज्य के किसी मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजने से संबंधित प्रावधान अंकित नहीं है । राज्य के किसी भी मेला को अभी तक राष्ट्रीय मेला का दर्जा केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, इस प्रकार का कोई पूर्व उदाहरण उपलब्ध नहीं है ।

उपर्युक्त के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रश्नगत गैर सरकारी संकल्प को वापस लेना चाहेंगे ।

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सारे तथ्यों को स्वीकार किया है किन्तु मेरा यही निवेदन और अनुरोध है कि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान करने की जरूरत है। आज की स्थिति में सभी जानते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकार का यहां से क्या संबंध है तो ऐसे में यह प्रावधान करके इस मेला की महत्ता को देखते हुए इसके लिए प्रावधान किया जाय और सुलतानगंज श्रावणी मेला को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सीनियर सुबोध राय जी, आपकी महत्ता, प्रश्न की महत्ता मंडल जी ने बताया है लेकिन कुछ मजबूरियां होती है-

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में है पानी ।

करें तो क्या करें, वापस ले लीजिए ।

श्री सुबोध राय : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न-28/अंजनी/दि0 27.03.18

क्रमांक- 100 : श्री अनिल सिंह

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सरकारी नौकरियों में दिये गये महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण में से 20 प्रतिशत का कोटा विधवा एवं परित्यक्ताओं के लिए निर्धारित करे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या- 2342 दिनांक 15.02.2016 द्वारा राज्याधीन सेवा के सभी पदों पर नियुक्ति में राज्य की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान के अनुसार नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस के दौरान सभी वर्गों की महिलाओं को यथास्थिति पद अनुमान्य कराये जाते हैं । इस आरक्षण का लाभ विधवा, परित्यक्ता सहित सभी कोटि की महिला प्राप्त कर सकती है । इस प्रकार उक्त 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में से विधवा एवं परित्यक्ताओं के लिए 20 प्रतिशत कोटा निर्धारित किये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, महिलायें हमेशा से दोयम दर्जे पर रही हैं और इस दोयम दर्जे में सबसे अगर बुरी स्थिति किसी की है तो परित्यक्ता महिलाओं की या विधवा महिलाओं की है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : दो मिनट में बोलिए ।

श्री अनिल सिंह : और उस परिस्थिति में चाहूंगा कि उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मैं यह प्रस्ताव इसलिए लाया हूँ सरकार के संज्ञान में कि इन्होंने 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया है, थोड़ी सरकार और सह्रदयता दिखाते हुए उन महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रावधान करे, जिनकी समाज में और परिवार में भी लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते । इन महिलाओं के लिए अनिवार्य है महोदय कि सरकार सह्रदयता दिखाये । सरकार संज्ञान में ले, इसी आशा के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-101 : श्री ललित कुमार यादव</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-102 : श्री अशोक कुमार सिंह</u>

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ दुर्गावती पी0डब्लू0डी0 पथ पर बहेरा गांव के पास रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, सरकार आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह जी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

<u>क्रमांक-103 : श्री रणधीर कुमार सोनी</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-104 : श्री उपेन्द्र पासवान</u>

(अनुपस्थित)

क्रमांक-105 : श्रीमती मंगीता देवी

(अनुपस्थित)

क्रमांक-106 : श्री मेवालाल चौधरी

श्री मेवालाल चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के तारापुर गोलम्बर पर तारापुर शहीदों के आदमकद प्रतिमा लगावे ।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर शहीदों की प्रतिमा तारापुर शहीद स्मारक परिसर, खाता संख्या-115, ,खेसरा नं0-10, रकवा- 4.75 डिसमिल में स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है तथा विभागीय पत्रांक 131 दिनांक 9.2.08 द्वारा प्रतिमा निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-107 : श्री रामप्रीत पासवान

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के प्रखंड अन्धराठाढ़ी ननौर गांव के सुरगवे नदी पर सुलिस गेट का निर्माण करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के अन्धराटाढ़ी प्रखंड के ननौर गांव के डाउनस्ट्रीम में अररियासंग्राम के समीप सुरगवे नदी पर वियर निर्मित है । प्रश्नगत क्षेत्र पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के झंझारपुर शाखा नहर से निस्सरित डुमिराही उपवितरणी एवं इसके वितरण प्रणालियों के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत है । उपर्युक्त सभी नहरों का निर्माण कार्य पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अवशेष कार्य के तहत कराया जा रहा है । वर्त्तमान में नहर निर्माण कार्य भू-अर्जन संबंधित समस्या के कारण बाधित है । जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त कर नहर प्रणालियों का निर्माण कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है । सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी, अत: प्रश्नगत स्थल पर सुलिस गेट निर्माण की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, एक मिनट । दस वर्ष से दो व्यक्ति के चलते वहां नहर का खुदाई नहीं हो रहा है । नहर के चलते वहां पानी नहीं जा पा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि यदि वे नहर बनवा देते हैं, जिला प्रशासन हाई कोर्ट में केस किये हुए है, जिसके चलते वह काम नहीं हो पा रहा है और जगह उंचा है, इसके चलते उस क्षेत्र में, बगल में जबकि पूरा खेती होती है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो बात बता रहे हैं, मैंने वही बात अपने उत्तर में कहा है कि वहां पर व्यवधान है और जिला प्रशासन को कहा गया है कि व्यवधान को दूर करके नहर का निर्माण कराये । मैं इसका व्यक्तिगत मोनेटरिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए निर्माण होगा, यह मेरा आश्वासन है ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-108 : श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती गुलजार देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

"यह सभा राज्य से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित बुद्धानाथ मंदिर से मैनाराही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क नवनिर्मित पथ में छोटे आकार का आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल एम0एन0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित बुद्धानाथ मंदिर से मैनाराही पथ के रेखांकन पर पड़ता है । इस पथ में बरसाती नाला पर लगभग 20 मीटर लंबे पुल की आवश्यकता है । डी0पी0आर0 की मांग की जा रही है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती गुलजार देवी : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 109 : श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला की गौरवशाली सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि के आलोक में प्रत्येक वर्ष कटिहार महोत्सव का आयोजन कटिहार में करावे ।"

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, कटिहार के सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि के आलोक में कटिहार महोत्सव के आयोजन के संबंध में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 140 दिनांक 13.03.2018 के द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा । अत: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी, कटिहार का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से बिहार के कई जिलों में इसका आयोजन होता है, उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आलोक में कटिहार में भी होगा और माननीय मंत्री जी के साकारात्मक जवाब के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : इसी के साथ तारकिशोर जी, आपने साबित किया है कि आप सही में कटिहार के लाल हो । बिल्कुल, मैं मान गया ।

सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-110 : श्री विजय प्रकाश</u>

(अनुपस्थित)

टर्न-29/शंभु/27.03.18

<u>क्रमांक-111 श्री जितेन्द्र कुमार</u>

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला के अस्थावॉं प्रखंड के ग्राम मोलना विगहा से धाय पीपल पुल तक पक्की सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, नालन्दा जिला के अस्थावॉं प्रखंड के ग्राम मोलना विगहा से धाय पीपल पुल तक पथ की कुल लंबाई 3.30 कि0मी0 है । यह राज्य कोर नेटवर्क में सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-2 पर है । इस पथ का निर्माण

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत कराने हेतु डी0पी0आर तैयार किया जा रहा है। स्वीकृति के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ लेकिन आग्रह करता हूँ कि...

श्री सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : वापस लीजिए न, धन्यवाद दे दिये तो क्या रहा ।

श्री जितेन्द्र कुमार : एक मिनट महोदय । ठीक है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-112 श्रीमती सावित्री देवी(अनुपस्थित)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : और किसी का बाकी है, कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ।

क्रमांक-33 श्री विनय बिहारी

श्री विनय बिहारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया प्रखंड अंतर्गत लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए बेलवा लखनपुर पंचायत के नवनिर्मित पंचायती राज सरकार भवन के पास स्थित जवाहीर घाट पर सिकहरना नदी के उपर बड़े पुल का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है उनको विभाग में भेजवा दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : ठीक है, भेजवा देते हैं । शुक्रिया ।

क्रमांक-70 श्री रविन्द्र यादव

श्री रविन्द्र यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला में स्थित झाझा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा प्रदान करे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, एक उप समिति माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित है और सचिवों की भी एक समिति है । सभी कलक्टर और एस0पी0 से रिपोर्ट मांगा गया है । रिपोर्ट आने के बाद सचिवों की समिति उसका अध्यन करेगी वैलीडिटी की इसके बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति में जायेगी । इसके बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अत: फिलहाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य उत्तम उत्तर है । वापस लीजिए, एकदम आशाएं जग गयी आपकी ।

श्री रविन्द्र यादव : ठीक है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब पहले लिस्ट में क्रम सं0-79 श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव का रिप्रजेन्ट करेंगे रामदेव बाबू ।

क्रमांक-79 श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव

(मा0स0श्री रामदेव राय द्वारा पढ़ा गया।)

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के दनियावाँ एन0एच0 30 से नालन्दा जिला के हिलसा, एकंगरसराय, इस्लामपुर होते हुए भगवान बुद्ध की नगरी को जोड़नेवाली एस0एच0 सड़क को एन0एच0ए0आइ0 में अधिग्रहण करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, इस संकल्प को भी भेजवा दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : ठीक है, भेजवा दिया जायेगा ।

क्रमांक-43 श्री नरेन्द्र कुमार नीरज

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत नौगछिया अनुमंडल पुलिस जिला नौगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा प्रदान करे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : सचिवों की समिति और मंत्रिमंडल की उप समिति सभी कलक्टर, एस0पी0 से रिपोर्ट मांगा गया है । रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसपर अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : ठीक है, वापस लिया ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

आप सारे साथियों ने इस कार्यक्रम में जो धैर्य दिखाया है.......अब हो गया पौसिबल नहीं है। अच्छा बहुत सीनियर मेम्बर हैं 79 साल की उम्र है, कृपा कीजिए, हां बोलिये ।

क्रमांक-118 श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन

(मा0स0श्री रामदेव राय द्वारा पढ़ा गया।)

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित हाउसिंग बोर्ड की खाली पड़ी 54 एकड़ जमीन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल बनाने हेतु सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है, राशि उपलब्ध कराकर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, इसको भी भेजवा दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : ठीक है । ये तो श्रवण बाबू नहीं होते तो मामला ही कहां से कहां चला जाता ।

श्री रामदेव राय : और नोट कर लिया जाय कि सारी प्रक्रिया पूरी है । वापस लेते हैं।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

अभी सदन में सबलोग मंत्रिमंडल के जितने शोभा हैं उनकी कोई तुलना नहीं है, आपस में सब एक से एक हैं, लेकिन कार्यक्रम के आधार पर मेहनत के ताकत के बल पर मैंने अभी जो देखा । मेरा उद्‌गार व्यक्त हो रहा है शैलेश जी के लिए -

नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी के गुंबद पर,
नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी के गुंबद पर,
तू शाही है बसेरा कर पर्वतों की उंचाइयों पर ।

आपलोगों ने इतना धैर्य रखा इसके लिए धन्यवाद ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : हुजूर, हम सदन की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने बेहतरीन तरीके से आपने सदन चलाया है, बहुत वर्षों के बाद इस तरह से चेयर पर ऐसा दिखा ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, जो लोग चले गये हैं छोड़कर उनके लिए भी एकाध शेर कह दीजिए ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : वह भी अपना पुछवा रहे हैं दूसरे को अधिकृत करके, देख नहीं रहे हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : हुजूर,

दिवाली यूँ ही नहीं मन गयी, दिया को रातभर जलना पड़ा,
सुबह से शाम तक बैठे हैं तब ये सफल हुआ है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : बहुत खूब-खूब ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 27 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018 को 11 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है । धन्यवाद ।

परिशिष्ट

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-गै०स०सं०स०-208/2018- /वि०स० ।

प्रेषक,

प्रदीप कुमार राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- अप्रील, 2018 ई०।

विषय- षोडश बिहार विधान सभा के नवम् सत्र में दिनांक-04.04.2018 को सदन के लिए प्राप्त श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह, स०वि०स० के गैर सरकारी संकल्प के प्रस्ताव के संबंध में ।

महोदय,

सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०-2491, दिनांक-21.03.2018 के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि षोडश बिहार विधान सभा के नवम् सत्र में श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह, स०वि०स० से दिनांक-04.04.2018 के लिए प्राप्त गैर सरकारी संकल्प सदन में दिनांक-27.03.2018 को लाए गए जिन्हें निम्न रूप में उपस्थापित माना गया है :-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत पिपरासी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रघुवर प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई हेतु वर्ष 22.07.2016 को गठित प्रपत्र "क" के आलोक में विभागीय कार्रवाई करावे ।"

विश्वासभाजन,
ह०/-
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-गै०स०सं०स०-208/18- /वि०स०, पटना, दिनांक- अप्रील, 18 ई०।

प्रति- श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह, स०वि०स० को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(अभय शंकर राय)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

9

ज्ञाप सं०-गै०स०सं०स०-208/18-2910-2915 /वि०स०, पटना, दिनांक- 03 अप्रील, 18 ई०।

प्रति- मुख्य प्रतिवेदक, प्रतिवेदन शाखा / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य ईकाई शाखा, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/4/18
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना